राजस्थान सरकार

श्री शिवचरण माथुर

मुख्य मंत्री

का

बजट भाषण

1989-90

गुरुवार, 23 मार्च, 1989

श्रीमन्,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. निरन्तर अकाल की परिस्थितियों के कारण यह वर्ष आर्थिक दृष्टि से कठिनाइयों भरा रहा है। इसका राज्य की अर्थ-व्यवस्था तथा वित्तीय संसाधनों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस सरकार की नीतियों एवं पिछले वर्षों के विकास कार्यक्रमों से हमारा आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हुआ है एवं इन विपरीत परिस्थितियों को भी सहन कर पाया है। साधारणतया बजट आय-व्यय का लेखा जोखा होता है, जो सही भी है, परन्तु मेरी सदा से मान्यता रही है कि बजट के माध्यम से जनता की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति की जाय जिसमें राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप आर्थिक और सामाजिक उत्थान का दर्शन हो। चूंकि कांग्रेस आम आदमी की स्थिति को सुधारने और एक सबल लोकतान्त्रिक राष्ट्र के निर्माण में विश्वास करती है अतः इस बजट के माध्यम से जनता की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव संसाधनों का समुचित विकास, रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना, पिछड़े एवं कमजोर क्षेत्रों का द्रुतगति से उत्थान करना एवं समग्र आर्थिक विकास करना जिसमें समाज के कमजोर वर्ग बराबर के भागीदार बनें, आदि उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास किया गया है। राजस्थान के चहुँमुखी आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये हम कृत संकल्प हैं। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर मैं यह बजट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

आर्थिक समीक्षा

3. माननीय सदस्यों को आर्थिक समीक्षा पृथक से वितरित की जा रही है जिसमें वर्ष 1988–89 में विभिन्न क्षेत्रों में हुई

प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। पिछले 4 वर्षों से लगातार अकाल के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई थी उसे इस वर्ष को सुखद वर्षा से सुधरने का अवसर मिला है। राज्य में माह जून एवं जुलाई में सामान्य से अधिक वर्षा हुई परन्तु अगस्त और सितम्बर में वर्षा सामान्य से कम रही। खरीफ की अच्छी बुआई हुई फिर भी आशा के अनुरूप उत्पादन में कमी की सम्भावना बन गई है। वर्ष 1987–88 के 12.3 लाख टन तिलहन एवं 2.2 लाख कपास की गांठों के विरुद्ध वर्ष 1988–89 में क्रमशः 15.8 लाख टन तिलहन तथा 5.5 लाख कपास की गांठों के उत्पादन होने की सम्भावना है। पिछले वर्ष खाद्यान्न की केवल 48 लाख टन पैदावार थी। हम पूर्ण आशान्वित हैं कि यह उत्पादन 1988-89 में 105 लाख टन तक पहुंच जाएगा।

4. खाद्यान्न का उत्पादन, वर्ष 1983-84 के रिकार्ड उत्पादन से भी अधिक होने की सम्भावना है। राजस्थान खाद्य उत्पादन में एक बार फिर से सरप्लस राज्य बन गया है और इस प्रकार आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय प्रयास में अपना योगदान दे रहा है।

5. तिलहन का भी इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन होने की आशा है। पिछले एक दशक में यह उत्पादन दोगुना हो गया है। सरसों के उत्पादन में राजस्थान सबसे बड़े उत्पादक राज्य के रूप में उभरा है। देश में पैदा होने वाले तिलहन का लगभग 10 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में होता है।

6. उर्वरक के कुल उपभोग एवं प्रति हेक्टेयर उपभोग में भी इस वर्ष राजस्थान ने बड़ी प्रगति की है। जहां 1980 तक खरीफ में 46 हजार टन व रबी में 89 हजार टन उर्वरक का उपभोग होता था वहां इस वर्ष केवल रबी में ही उर्वरक का उपभोग 2 लाख टन से अधिक पहुँच जायेगा। इसी प्रकार जहां 1980 तक मात्र 7.8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपभोग होता था उसके मुकाबले इस वर्ष 16 कि. ग्रा. से भी अधिक उपभोग की संभावना है।

7. औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भी 1988 एक अच्छा वर्ष रहा है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण 27 चयनित वस्तुओं में 20 वस्तुओं का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा बढ़ा है जिसमें सीमेंट, जिंक, बिजली के मीटर, पी. वी. सी. कम्पाउण्ड, टी. वी. सेट्स, यूरिया, बाल बियरिंग्स, कास्टिक सोडा, वेजीटेबल घी, सुपर फास्फेट, कैडमियम, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, रेल्वे वैगन्स, पोलिस्टर धागा, कैल्शियम कार्बाईड, पी. वी. सी. रेजिन, सल्फ्यूरिक एसिड, कापर कैथोड, रेडियेटर्स तथा लेपित एवं पुनर्लेपित पत्थर और नमक शामिल है।

8. वर्ष 1952–53 के आधार पर राज्य में 1988 का औसत थोक मूल्य सूचकांक 1054 रहा है। यह वर्ष 1987 में 943 था। इसमें वृद्धि 11.78 प्रतिशत है। यह वृद्धि मुख्यतः वर्ष के प्रथम छः माह में सूखे की स्थिति के कारण है।

9. प्रचलित कीमतों पर राज्य का घरेलू उत्पादन, वर्ष 1986-87 के मुकाबले वर्ष 1987-88 में 8730.35 करोड़ रुपयों से बढ़ कर 9502.19 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि 8.84 प्रतिशत है। प्रति व्यक्ति आय जो 1986-87 में 2193 रुपये थी 1987-88 में बढ़कर 2326 रुपये हो गई है। इस प्रकार इसमें 6.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की सम्भावनाओं को देखते हुये घरेलू उत्पादन में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर गत वर्ष की तुलना में यह वृद्धि लगभग 20.5 प्रतिशत सम्भावित है।

अकाल राहत

10. आपको स्मरण होगा कि गत वर्ष लगभग इसी समय जब मैं अपना बजट भाषण देने के लिये आपके समक्ष उपस्थित

हुआ था, तब राजस्थान इस शताब्दी के सबसे भयंकर सूखे की भीषण चपेट में था। निरन्तर चार वर्षों तक मानसून के असफल होने से राज्य की अर्थव्यवस्था पूर्णरूप से चरमरा चुकी थी। वर्ष 1988 में अपेक्षाकृत अच्छी वर्षा होने से लोगों ने राहत की सांस ली। इन्द्र भगवान् ने हम पर जो मेहरबानी की उसके लिए तो हम सब उनके आभारी हैं परन्तु राज्य सरकार ने राहत पहुंचाने के लिए जो अथक एवं व्यापक प्रयत्न किए हैं, इसका उल्लेख भी मैं अवश्य करना चाहूंगा।

11. सम्वत् 2044 में 36,252 ग्रामों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। इतनी विशाल जनसंख्या को अपनी जीविका के लिये समुचित साधन मुहय्या कराने का कार्य अपने आप में अब तक का सबसे अधिक चुनौती भरा कार्य था। मैं सदन को यह भी बतलाना चाहूंगा कि सम्वत् 2044 में लगभग 3 लाख राहत कार्य प्रारम्भ कर कुल 4,240 लाख मानव दिवस अर्जित किए गए। इन पर तथा सूखा प्रबन्ध से सम्बन्धित अन्य मदों पर वर्ष 1987-88 में 599 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1988-89 में लगभग 361 करोड़ रुपये व्यय किये गये जिनमें गेहूं का मूल्य भी शामिल है। राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त, स्वयं के स्रोतों से वर्ष 1987-88 में 123 करोड़ रुपये एवं 1988-89 में लगभग 90 करोड़ रुपये व्यय किये। सूखा प्रबन्ध कार्यों पर इन 16 माहों में जो राशि व्यय की गई है वह गत चार दशकों में अकाल सहायता पर कुल व्यय की गई राशि से भी बहुत अधिक है।

12. नैसर्गिक विपत्तियों के बावजूद भी राजस्थान की महान जनता ने जिस प्रकार धैर्य व साहस से काम लिया तथा प्रशासन को इस कठिन परिस्थिति से मुकाबला करने में सहयोग दिया उसके लिये मैं प्रदेश की जनता के प्रति आभार प्रकट करना अपना पुनीत कर्तव्य मानता हूं।

चालू वित्तीय वर्ष की योजना

13. अकाल राहत योजना व्यय एवं योजना आधिक्य के अतिरिक्त व्यय को शामिल करते हुए चालू वित्तीय वर्ष की योजना का आकार जो 863.47 करोड़ रुपये था वह 989.21 करोड़ रुपये हो जायेगा।

1989-90 की वार्षिक योजना

14. यद्यपि हमारे पास साधनों की बहुत कमी है जिसका मूल कारण अकाल राहत कार्यों पर अधिक व्यय एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में बढ़ोतरी है, फिर भी यह अतिआवश्यक है कि प्रदेश का विकास द्रुत गति से हो। माननीय सदस्यों को मालूम है कि योजना आयोग ने इस बार 795 करोड़ रुपये की योजना का आकार निर्धारित किया है जो चालू वर्ष की मूल योजना से 12 प्रतिशत अधिक है। वार्षिक योजना का मदवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम संख्या	मद	राशि (करोड़ों में)	प्रतिशत
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम	54.41	6.84
2.	ग्रामीण विकास	41.09	5.17
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-मेवात विकास बोर्ड	1.15	0.14
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	159.90	20.11
5.	विद्युत्	215.40	27.09
6.	उद्योग एवं खनिज	39.33	4.95
7.	परिवहन	36.00	4.53
8.	प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान	0.78	0.10

क्रम संख्या	मद	राशि (करोड़ों में)	प्रतिशत
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	225.74	28.40
10.	आर्थिक सेवायें	3.96	0.50
11.	सामान्य सेवायें	5.22	0.66
12.	नौवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान	7.41	0.93
13.	प्रशासनिक सुधार	0.30	0.04
14.	जिला योजनायें	4.31	0.54
	योग	795.00	100.00

15. सातवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई प्राथमिकताओं के अनुरूप ही वार्षिक योजना में विद्युत एवं सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी गई है। कुल प्रावधान का क्रमशः 27.09 प्रतिशत और 20.11 प्रतिशत इन मदों में प्रस्तावित है।

16. योजना आकार में आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बचे हुए पूंजीगत कार्यों के लिए 1.44 करोड़ रुपये, नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूंजीगत व्यय के 9.02 करोड़ रुपये, राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम में सम्भावित अधिक व्यय 4.20 करोड़ रुपये, अग्रिम आयोजना सहायता के 0.01 करोड़ रुपये तथा सामान्य प्रशासन भवनों पर अधिक व्यय 0.44 करोड़ रुपये को सम्मिलित नहीं किया गया है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को हिस्सा पूंजी में अंशदान के लिए 10 करोड़ रुपये और स्थानीय निकायों को भूमि क्रय करने के लिए 1.00 करोड़ रुपये का ऋण देना अतिरिक्त प्रस्तावित है। वृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्न उत्पादन हेतु अग्रिम आयोजना सहायता के 0.54 करोड़ रुपये को सम्मिलित करने के पश्चात् कुल योजना का आकार 821.65 करोड़ रुपये हो जायेगा।

17. कुल योजना व्यय के वित्त पोषण हेतु 313.64 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी, 163.36 करोड़ रुपये बजट के बाहर के संसाधनों से उपलब्ध होंगे, शेष 344.65 करोड़ रुपये राज्य के संसाधनों से उपलब्ध करने होंगे।

18. सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। योजना काल के प्रथम 4 वर्षों में किये गये उपायों के फलस्वरूप 1072 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होने का अनुमान है। वर्ष 1989-90 में किये जाने वाले उपायों के फलस्वरूप यह राशि और बढ़ने की सम्भावना है।

मुख्य उपलब्धियां एवं भावी कार्यक्रम

19. अब मैं कुछ क्षेत्रों की चालू वर्ष की उपलब्धियां एवं अगले वर्ष के भावी कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहूंगा।

विद्युत

20. इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ऊर्जा की उपलब्धि आर्थिक विकास का मूल आधार है। इसी कारण प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना का एक बड़ा भाग इस मद में रखा जाता है।

21. गत वर्ष के बजट भाषण में मैंने कोटा तापीय परियोजना द्वितीय चरण की 210 मेगावाट की पहली इकाई को दिसम्बर, 1988 की बजाय सितम्बर, 1988 में चालू करने का वादा किया था। मुझे कहते हुये हर्ष होता है कि इस इकाई को 25 सितम्बर को चालू कर दिया गया है। माही परियोजना की द्वितीय चरण की 45 मेगावाट की पहली इकाई फरवरी, 1989 में चालू हो गई है।

अन्ता में गैस पर आधारित निर्माणाधीन 413 मेगावाट के बिजलीघर में से 88-88 मेगावाट की दो इकाइयां चालू हो गई हैं जिसमें 34.8 मेगावाट राजस्थान का हिस्सा है। केन्द्रीय क्षेत्र के रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन से यद्यपि 95 मेगावाट विद्युत् आवंटन हो चुकी है परन्तु यह पावर स्टेशन अभी चालू नहीं हुआ है। इस प्रकार वर्ष 1988-89 के अन्त में, रिहन्द के आवंटन के अलावा, उत्पादन क्षमता में लगभग 290 मेगावाट की वृद्धि हो जायेगी।

22. विद्युत् उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी तथा मानसून की अच्छी वर्षा से जलाशयों में पानी आने के कारण इस वर्ष विद्युत् की उपलब्धि 8100 मि. यू. के लक्ष्य के स्थान पर 8623 मि. यू. रहने की सम्भावना है। इस वर्ष के दौरान फरवरी, 1989 के अन्त तक 7993 मि. यू. बिजली की उपलब्धि रही है, जो पिछले वर्ष के इसी समय के दौरान 6845 मि. यू. से 16.8 प्रतिशत अधिक है। विद्युत् उपलब्धि में इस सुधार के फलस्वरूप जून 1988 से औद्योगिक उपभोक्ताओं पर विद्युत् की कोई कटौती नहीं की गई तथा कृषकों को भी प्रतिदिन 8-10 घण्टे के ब्लाक्स में बिजली दी जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में 1300 गांवों के विद्युतीकरण एवं 17,000 कुओं के ऊर्जीकरण के लक्ष्य पर कार्य हो रहा है, इसके विरुद्ध 15 मार्च 1989 तक 1270 गांवों का विद्युतीकरण एवं 15,261 कुओं का ऊर्जीकरण किया जा चुका है।

23. केन्द्रीय सरकार की योजना "कुटीर ज्योति" के अन्तर्गत राजस्थान में 26,100 परिवारों को एक प्वाइन्ट कनेक्शन देने के लिये अन्दरूनी तार और सर्विस कनेक्शन निःशुल्क लगाने के कार्यक्रम के लक्ष्य में से 15 मार्च, 1989 तक 24,114 कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

24. राज्य की 1989-90 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत ऊर्जा के क्षेत्र में 215.40 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो कुल योजना का 27.09 प्रतिशत है।

25. आगामी वर्ष में कोटा तापीय विद्युत् परियोजना के दूसरे चरण की 210 मेगावाट की दूसरी इकाई एवं माही पन विद्युत्गृह के द्वितीय चरण की 45 मेगावाट की दूसरी इकाई को पूर्ण करने का लक्ष्य है। यह प्रयास किया जायेगा कि कोटा तापीय 210 मेगावाट की इकाई पूर्व निर्धारित सितम्बर 1989 के बजाय माह जून 1989 में चालू हो जाये और माही पन विद्युत्गृह की 45 मेगावाट की दूसरी इकाई जुलाई-अगस्त, 1989 में चालू हो जाए। अन्ता विद्युत्गृह की 88 मेगावाट की तीसरी इकाई के दिसम्बर, 1989 में पूरा हो जाने की आशा है जिसमें से 17.39 मेगावाट राजस्थान का भाग होगा। सूरतगढ़ (4 मेगावाट), मांगरोल (6 मेगावाट), दाईं मुख्य नहर माही (0.8+0.16 मेगावाट) की लघुपन विद्युत् योजनाओं के वर्ष 1989-90 के अन्त तक पूरी होने की आशा है। इस प्रकार रिहन्द को मिलाकर अगले वर्ष के अन्त तक विद्युत् उत्पादन क्षमता में लगभग 378 मेगावाट की वृद्धि हो जावेगी। यह वृद्धि पिछले 25 वर्षों में हुई किसी भी वर्ष की वृद्धि से अधिक होगी। वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में होने वाली उत्पादन क्षमता में वृद्धि इससे पिछले 6 वर्षों में हुई वृद्धि के लगभग है।

26. वर्ष 1989-90 में 9795 मि. यू. विद्युत् उपलब्ध होने की सम्भावना है। आगामी वर्ष औद्योगिक एवं कृषि उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराने हेतु राज्य में विद्युत् की स्थिति काफी, सन्तोषजनक रहने की आशा है।

27. वर्ष 1989-90 के लिये 2000 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 30,000 कुओं के ऊर्जीकरण के लक्ष्य प्रस्तावित हैं। इन 30,000 कुओं में से 5,000 कुओं को एक पोल कनेक्शन के अन्तर्गत ऊर्जीकृत किया जावेगा। इस कार्यक्रम से ऊर्जीकरण का स्तर मार्च 1990 तक 72.38 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा। वर्ष 1989-90 के अन्त में 6688 गांव एवं 79064 कुओं का ऊर्जीकरण हो जायेगा

जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित 5145 गांव एवं 65,000 कुओं के ऊर्जीकरण के लक्ष्यों से कहीं अधिक है।

28. 2,000 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण एवं हरिजनों के 4250 कृषि कुओं तथा 100 औद्योगिक कनेक्शनों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

29. आगामी वर्ष के प्रावधानों में लगभग 70 प्रतिशत राशि ट्रान्समिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एवं ग्रामीण विद्युतीकरण में लगाई जावेगी जिससे अतिरिक्त क्षमता से उत्पादित विद्युत् का प्रवाह आगे हो सके और ट्रान्समिशन सिस्टम में वांछित सुधार लाया जा सके।

30. आठवीं एवं नवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली की मांग की पूर्ति के लिये राजस्थान ने पांच तापीय योजनायें अर्थात् कोटा तृतीय चरण, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, सूरतगढ़ एवं धौलपुर भारत सरकार को प्रेषित की हैं। कोटा तृतीय चरण (210 मेगावाट) को योजना आयोग ने स्वीकृत कर दिया है। सूरतगढ़ की योजना केवल कोयला लिंकेज को छोड़कर सभी दृष्टिकोणों से अनुमोदित हो गई है। धौलपुर के बारे में भारत सरकार ने ताजमहल से 100 किलो मीटर दूर नये स्थान के चयन के लिये राय दी है। मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ की तापीय परियोजनायें, राहूघाट की पन विद्युत् योजना (4×40 मेगावाट) एवं बरसिंगसर में लिगनाईट पर आधारित 2×120 मेगावाट की विद्युत् परियोजना भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार द्वारा रावतभाटा में 235 मेगावाट क्षमता की दो इकाइयां स्थापित की जा रही हैं जबकि 500 मेगावाट क्षमता की चार इकाइयां स्थापित करने पर सिद्धान्ततः सहमति प्रगट की जा चुकी है। इस प्रकार रावतभाटा से 2 हजार 470 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी एवं रावतभाटा देश का सबसे बड़ा "अणु बिजली संकुल" बन जायेगा।

31. प्रसारण एवं वितरण क्षति को कम करने के हर सम्भव प्रयास किये गये हैं। मुख्य-मुख्य लोड सेन्टर्स को 220 और 132 के. वी. लाइनों से जोड़ा गया है। 132 के. वी. लोड को सीधा ही 11 के. वी. लाईन पर परिवर्तित किया जा रहा है। बन्द और खराब मीटरों को बदलने का एवं बिजली की चोरी को रोकने का सघन कार्यक्रम हाथ में लिया हुआ है। इस समय प्रसारण एवं वितरण क्षति राज्य के भीतर 20.5 प्रतिशत है, जो 1986-87 के अखिल भारतीय स्तर के आसपास है। अगले वर्ष 1989-90 में इसे 20 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है।

32. राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल को दिये गये ऋणों के कुछ भाग को अंशदान में परिवर्तित किये जाने के लिए अगले वर्ष में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत :

33. तेजी से हो रहे औद्योगीकरण एवं कृषि विकास के कारण बिजली की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। पारम्परिक ईंधन के भंडार अधिक समय तक नहीं चलेंगे। वर्तमान वनों का भी तेजी से ह्रास हो रहा है। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं बायो-गैस जैसे गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को निकट भविष्य में उच्च प्राथमिकता दी जावे। राजस्थान में अच्छी सूर्य की रोशनी व तेज पवन वेग की उपलब्धता के कारण सौर और पवन ऊर्जा के विकास की अधिक सम्भावनाएं हैं।

34. वर्ष 1989-90 में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 110 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

35. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 80-90 अविद्युतीकृत गांवों में 900 सौर ऊर्जा से चलित रोड लाइटें लगाई जायेंगी। 7,000 सोलर कुकर के विक्रय किये जाने का भी लक्ष्य है।

36. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में चारा विकास हेतु 100 पवन चक्कियां भारत सरकार से प्राप्त कर लगाये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

37. मरु क्षेत्र में पानी निकालने के लिए एस. पी. वी. पम्प व पवन चक्कियां भी भारत सरकार से प्रदर्शन आधार पर प्राप्त करने का प्रयास किया जावेगा।

38. मरु क्षेत्र में बिजली पैदा करने हेतु भारत सरकार से 100 किलोवाट क्षमता के विंड ऐरो जनरेटर प्राप्त होने की आशा है।

39. जोधपुर क्षेत्र में 30 मेगावाट क्षमता का सोलर थर्मल प्लान्ट लगाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाया हुआ है। इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार जापान, जर्मनी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार के सलाहकार व अन्य विदेशी परामर्शदाता जोधपुर आकर स्थल निरीक्षण कर चुके हैं एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को भेज दी गई है। इस प्लान्ट को लगाने के लिए राज्य सरकार ने अपना अंशदान देने का सिद्धान्ततः निर्णय कर लिया है।

सिंचाई :

40. 1989-90 में सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण मद के अन्तर्गत 159.9 करोड़ रुपये का योजना व्यय प्रस्तावित है। इसमें 63 करोड़ रुपये इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का व 19 करोड़ रुपये माही बजाज सागर परियोजना का व्यय शामिल है।

41. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के प्रस्तावों पर योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके अनुसार 7 लाख हेक्टेयर फ्लो क्षेत्र में व 3.12 लाख हेक्टेयर लिफ्ट क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। अगले वर्ष राज्य योजना मद के अलावा 26 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा बोर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत दिये जायेंगे। 20 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से द्वितीय चरण में खाले बनाने के लिये उपलब्ध होगी। इस प्रकार कुल 109 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी जिसका उपयोग निम्नानुसार किया जावेगा :–

		करोड़ रुपये में
1.	द्वितीय चरण का नहर निर्माण कार्य	60
2.	द्वितीय चरण के खालों का निर्माण	40
3.	सिंचित क्षेत्र विकास कार्य	9
	योग	109

42. हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सिद्धमुख व नौहर की नई बृहद् सिंचाई परियोजनाएं अगले वर्ष प्रारम्भ कर सकें। इनके द्वारा 1981 के करार के अनुसार जो बाकी 0.47 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना है, उसका इस्तेमाल हम कर सकेंगे। इन परियोजनाओं की योजना आयोग से स्वीकृति लेने के लिये पूरी कोशिश की जा रही है। वर्ष 1989-90 में इसके लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन्हें समुचित वित्तीय प्रावधान करके पूरा करवाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

43. अन्य बृहद् परियोजनाओं में जाखम सिंचाई परियोजना पर वर्ष 1988-89 में लगभग 2.8 करोड़ रुपये खर्च आयेगा। वर्ष 1989-90 के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

बीसलपुर परियोजना पर वर्ष 1988-89 में 12 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 1989-90 में कुल 19 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना से वर्तमान वर्ष की ग्रीष्म ऋतु में कोफर डेम के निर्माण से 15-20 लाख गैलन अतिरिक्त पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध कराया गया है। अगले वर्ष 40-50 लाख गैलन पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध कराने की सम्भावना है। मध्यम परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु 1989-90 के लिए क्रमशः 25 करोड़ रुपये तथा 13 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मेजा फीडर, वागन, बस्सी, कोठारी, सोमकागदर, भीमसागर तथा बिलास परियोजनाओं को वर्ष 1989-90 में पूर्ण करने का प्रयत्न किया जावेगा।

44. पहले की पूर्ण हुई सिंचाई परियोजनाओं के पानी के पूर्ण उपयोग हेतु आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 1989-90 के लिए चार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। गंग कैनाल के आधुनिकीकरण का कार्य भी हाथ में है। इसके लिए एक लिंक कैनाल का निर्माण किया जा रहा है। जहां हमने अपने क्षेत्र में इस लिंक कैनाल के कार्य को लगभग पूरा कर लिया है वहीं हरियाणा सरकार द्वारा उनके क्षेत्र में पड़ने वाली केवल छः किलोमीटर लम्बी नहर पर कार्य अत्यन्त धीरे किया जा रहा है। इस कार्य हेतु देय 114 लाख रुपये की राशि राजस्थान सरकार द्वारा 1986-87 में ही दी जा चुकी है। अधिकारी स्तर पर प्रयत्नों के अतिरिक्त मैंने भी हरियाणा के मुख्य मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से अनेक बार कार्य शीघ्र पूरा करने का निवेदन किया है परन्तु मुझे सदन को यह बताते हुये खेद है कि हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी द्वारा मौखिक रूप से आश्वासन देने के उपरान्त भी, कार्य की प्रगति बहुत धीमी है।

45. उक्त कार्यों से 1989-90 में 50,800 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने की आशा है। इसमें 35,000 हेक्टेयर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से, 890 हेक्टेयर माही परियोजना से तथा 14,910 हेक्टेयर अन्य परियोजनाओं से सिंचित होंगे। इसके अतिरिक्त 60,000 हेक्टेयर में पक्के खालों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

46. इस वर्ष घग्घर नाली में भारी बाढ़ आई। राजस्थान सीमा पर अधिकतम बाढ़ डिस्चार्ज 32,000 क्यूसेक्स आंका गया है जब कि इन्दिरा गान्धी फीडर पर बने घग्घर साईफन की डिस्चार्ज क्षमता कुल 16,000 क्यूसेक्स की है एवं डाईवर्जन चैनल की क्षमता 12,090 क्यूसेक्स है। इसके बावजूद सरकार की सतत् चौकसी के कारण बिना किसी जान की हानि के बाढ़ के पानी को निकाल दिया गया। स्थिति इतनी गम्भीर थी कि जरासी चूक से भी हनुमानगढ़ पीलीबंगा आदि शहरों में भारी नुकसान हो सकता था। क्षतिग्रस्त सिंचाई कार्यों को जो नुकसान हुआ था उसकी मरम्मत की जा रही है।

47. चम्बल परियोजना की बाईं मुख्य नहर में अन्तिम छोर के काश्तकारों को पानी उपलब्ध न होने की समस्या पर एक अध्ययन कराया गया। अन्य सिफारिशों के अलावा परियोजना की नहरों की डि-सिल्टिंग एवं विशेष मरम्मत की भी सिफारिश की गई। इस परियोजना की नहरों की स्थिति को ठीक करने के लिए अगले वर्ष, सामान्य रख-रखाव के प्रावधान के अतिरिक्त, 60 लाख रुपये विशेष सुधार हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंच सके।

कृषि

48. माननीय सदस्यों को विदित ही है कि गत वर्ष माननीय प्रधान मंत्रीजी ने जिस विशिष्ट खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम की घोषणा की थी, उससे राज्य के 14 जिले लाभान्वित हुए हैं। कृषि

कार्यों को विशेष महत्व प्रदान करने के लिये, 20 कृषि जिलों में एक सघन कृषि विकास कार्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इन जिलों में से प्रत्येक जिले के दस समीपस्थ ग्रामों का चयन किया जाएगा तथा कृषि वैज्ञानिकों एवं प्रसार अधिकारियों के समन्वित कार्यक्रम से लगभग 1.5 लाख कृषकों को उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा विस्तृत फार्म योजनाएं तैयार की जायेंगी तथा ऋण एवं आदान को सप्लाई में इस तरह से समन्वय किया जाएगा, जिससे कि उत्पादन वृद्धि में आधुनिक प्रौद्योगिकी के लाभों को प्रदर्शित किया जा सके तथा इससे प्रभावित होकर पड़ोसी क्षेत्रों में भी इस प्रौद्योगिकी का प्रसार हो सके।

49. कृषकों के लिए मिट्टी परीक्षण की सुविधा का विस्तार करने के लिए, 6 नयी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार 5,000 नमूनों का प्रति वर्ष विश्लेषण करने की क्षमता वाली एक और बीज परीक्षण प्रयोगशाला प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

50. हॉरटीकल्चर के लिए एक पृथक् निदेशालय की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य में सेरीकल्चर की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, सेरीकल्चर विकास का कार्य भी इस नये निदेशालय को सौंपने का प्रस्ताव किया गया है।

सहकारिता :

51. सहकारिता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इससे सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 12 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 1989-90 में 150 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण, 8 करोड़ रुपये के मध्य-कालीन ऋण और 32.50 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण काश्त-कारों को कृषि उत्पादन हेतु वितरित किये जाने की योजना है।

52. वर्ष 1989-90 में 15,000 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है और वर्ष के अन्त तक सहकारिता के क्षेत्र में 5,08,000 मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता हो जाने की सम्भावना है।

53. वर्ष 1988-89 में केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स को 99 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर पुनः प्रारम्भ करवाया गया है। राज्य सरकार ने 150 टन प्रतिदिन मूंगफली अथवा 120 टन सरसों पिराई क्षमता की आधुनिक मिल बीकानेर में 16.32 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इससे 45,000 उत्पादक लाभान्वित होंगे। वर्ष 1989-90 में इसके लिए 1.22 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही कोटा में स्थापित सोयाबीन संयंत्र में उत्पादित अपरिष्कृत तेल को परिष्कृत करने के लिए एक अत्याधुनिक संयंत्रण 10 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित करने की योजना स्वीकृत की है जिसके लिये 1.5 करोड़ रुपये का प्रावधान अगले वर्ष किया गया है। शेष राशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

54. केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में 15,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच के फसली ऋण पर अधिकतम ब्याज दर 14 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने की घोषणा की है। इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं। यह लाभ काश्तकारों को पहुंचाने के लिये राजस्थान में निम्न ब्याज की दर पर सहकारी बैंक अब फसली ऋण देंगे — 7,500 रुपये तक 10 प्रतिशत, 7,500 रुपये से ऊपर तथा 15,000 रुपये तक 11 प्रतिशत, 15,000 रुपये से ऊपर तथा 25,000 रुपये तक 12 प्रतिशत एवं 25,000 रुपये से अधिक पर 15½ प्रतिशत।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

55. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबो की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फरवरी, 1989 तक 1.37 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 1989-90 में इस कार्यक्रम के लिए 35.6 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गुणात्मक सुधार हो तथा अधिक से अधिक लोगों को आई. एस. बी. सेक्टर में लाभान्वित किया जावे।

56. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कठिनाई यह अनुभव की गई है कि जहां एक ओर उत्पादन हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई वहीं दूसरी ओर उनके तैयार माल के विक्रय के लिए विपणन सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए, जिला आपूर्ति एवं विपणन समितियों की स्थापना करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आशा है इन समितियों की स्थापना से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले परिवारों की उपरोक्त वर्णित कठिनाइयां समाप्त हो जायेंगी।

बेरोजगारी उन्मूलन

57. राज्य सरकार द्वारा गत चार दशकों से किए जा रहे अथक प्रयास के फलस्वरूप राज्य का बहुमुखी आर्थिक विकास हुआ है। यह प्रगति इसलिये और महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमने प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों एवं संसाधनों की अत्यन्त कमी के बावजूद यह प्रगति की है। इस समय आर्थिक विकास का समुचित लाभ गरीब तबके के लोगों को अधिक मिले इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को नई दिशा देकर चलाने की योजना है। गरीबी एवं बेरोजगारी

निरन्तर चिन्ता का कारण बनी हुई है। अतः राज्य ने इन समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है।

58. उपर्युक्त सन्दर्भ में, राज्य सरकार ने निम्न नीति निर्धारित की है:—

1. एन.आर.ई.पी., आर.एल.ई.जी.पी., डी.डी.पी., डी.पी.ए.पी. आदि जैसे विशिष्ट रोजगार परक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर अधिक जोर दिया जा रहा है।
2. ट्राइसम, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना आदि जैसी स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कदम उठाये जा रहे हैं।
3. श्रम आधारित कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ कराया जा रहा है।
4. शिक्षा विशेषतः तकनीकी शिक्षा के प्रसार में इस प्रकार वृद्धि की जा रही है जिससे व्यवसायिकीकरण व रोजगार परकता को विशेष बल मिले।

59. इस आधार पर राज्य में एक कार्य आयोजना पर क्रियान्वयन हो रहा है। अधिकतम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हम न केवल 1989-90 में ही प्रयास करेंगे अपितु इस कार्यक्रम को आगे भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

60. भारत सरकार ने तय किया है कि चालू राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम को मिलाकर एक कार्यक्रम के रूप में चलाया जाये। इस नवीकृत संशोधित कार्यक्रम को पुरजोर तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। अनुमान है कि वर्ष 1989-90 में ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 लाख व्यक्तियों को 120 दिवसों के लिए रोजगार उपलब्ध करा

दिया जाएगा। अन्य 1.2 लाख व्यक्तियों को वर्तमान मरु विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम, रेवाइन रिक्लेमेशन कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत 120 दिवसों के लिए रोजगार प्राप्त हो जाएगा। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

61. भारत सरकार ने देश के 120 चयनित जिलों में वर्ष 1989-90 से जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना लागू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के बारे में एवं जिलों के चयन के सिद्धान्त के बारे में पूर्ण ब्योरे अभी प्राप्त होने हैं। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे। इससे भी करीब एक लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है।

62. पूर्व में वर्णित नीति के अनुरूप, राज्य सरकार ने नियमित अथवा स्वरोजगार प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएँ बनाई हैं। इन योजनाओं में कम्पोजिट लोन स्कीम, महिलाओं के लिए गृह उद्योग, दस्तकारों को रोजगार, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार, व्यवसाय उद्यमी (एन्टरप्रोन्योरशिप) विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पैकेज प्रोग्राम, शहरी गरीब लोगों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम तथा नाबार्ड/आई. डी. बी. आई. की पुनर्वित्त योजना प्रमुख हैं। नए संस्थान खोलकर तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में विकसित हो रहे नये विषयों में पाठ्यक्रम लागू कर तकनीकी शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। जिन उद्योगों में पर्याप्त रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, वहां उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रशिक्षित जनशक्ति में सुधार करने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का पुन: निर्धारण किया जा रहा है। आशा है कि वर्ष 1989-90 में 3.2 लाख व्यक्तियों को मजदूरी अथवा नियमित रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दिये जाएंगे।

63. इस प्रकार उपर्युक्त योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयत्नों से वर्ष 1989-90 में लगभग 8 लाख व्यक्तियों को मजदूरी, स्वरोजगार एवं नियमित रोजगार उपलब्ध होने की आशा है।

पंचायती राज

64. माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह बार-बार स्पष्ट किया है कि वे प्रजातन्त्र के मूलाधार को विकेन्द्रीकृत करने के पक्षधर हैं। इस व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बहुत अहम् होगी। इसलिए, जहां पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया वहीं यह भी सुनिश्चित करना जरूरी हो गया कि लोकसभा एवं विधान सभा के चुनावों की तरह पंचायतों के चुनाव भी समय पर कराए जाएं। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि कई वर्षों के अन्तराल के बाद, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न करा दिए गये हैं।

65. इन संस्थाओं को सशक्त एवं सक्षम बनाने के लिए, प्रमुख कदम निम्न प्रकार से उठाए गए हैं :-

1. उच्च प्राथमिक विद्यालय, "बी" श्रेणी के आयुर्वेद ग्रामीण चिकित्सालय, सामाजिक-वानिकी एवं विकेन्द्रीकृत पौधशाला कार्यक्रम का जिला परिषदों को अन्तरण करना तथा इन कार्यक्रमों के उचित निष्पादन के लिए पर्याप्त संख्या में सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएं सौंपना।
2. सभी जिला परिषदों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम या चयन स्केल के अथवा भारतीय प्रशासनिक

सेवा के सीनियर स्केल के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पदों का सृजन करना।

3. बड़ी संख्या में ग्राम विस्तार अधिकारियों एवं कृषि पर्यवेक्षकों की सेवायें इन्हें सौंपना ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति हो सके।

4. जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों की सभी पुरानी गाड़ियों को बदलने का एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में हो 12 जिला परिषदों में नई कारें तथा 40 पंचायत समितियों में नई जीपें उपलब्ध करा दी गई हैं।

5. इन्दिरा गान्धी पंचायती राज प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है जिसमें नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू कर दिया गया है।

66. मैंने स्वयं भी, पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सक्षम बनाने के अपने संकल्प के अनुरूप, सेमीनारों तथा सम्मेलनों में बहुत से नव निर्वाचित प्रतिनिधियों से पारस्परिक विचार-विमर्श किया है। पंचायती राज संस्थाओं के उचित एवं सुगमता पूर्वक कार्य करने के लिए, सदन के माननीय सदस्यों से भविष्य में जो भी सुझाव एवं परामर्श प्राप्त होंगे, मैं उनका स्वागत करूंगा।

67. अन्य सुझावों के साथ यह भी विचार सामने आया था कि पंचायत समिति के प्रधानों एवं जिला परिषद् के प्रमुखों का मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि 1-1-1989 से प्रधान का मानदेय 1000 रुपये प्रति माह तथा प्रमुख का मानदेय 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाए।

68. ग्राम पंचायतों के माध्यम से 30,000 ग्रामीण निर्धनों को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटित कराए गए, 21,000 लोगों को निर्मित भवन प्रदान कराए गए, 2,000 से अधिक तहारतों का निर्माण कराया गया है एवं 1,00,000 से भी अधिक निर्धूम चूल्हे स्थापित किए गए हैं। अगले वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 आवासीय भूखण्ड आवंटित करने, 30,000 नए भवनों का निर्माण कराने, 8,000 तहारतें बनवाने तथा 1,45,000 निर्धूम चूल्हे स्थापित करने का प्रस्ताव है। एन. आर. ई. पी., आर. एल.ई.जी.पी. तथा सामाजिक वानिकी कार्यों में पंचायतों का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा तथा अधिकाधिक कार्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से निष्पादित कराए जाएंगे।

पशुपालन

69. राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों के निवासियों की जीविका का मुख्य स्रोत है। पशुपालन विभाग का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा पशु प्रजनन, बीमारियों की रोकथाम एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। राज्य के पशुपालकों की आय में वृद्धि करने की दृष्टि से मुर्गीपालन, शूकर पालन, एवं बकरी विकास कार्यक्रमों को भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

70. सातवीं योजना की प्रथम चार वर्षों की अवधि के दौरान 50 अस्पताल खोल देने एवं 159 पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत कर देने पर भी, पशु स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधायें राज्य के कई भागों में अपर्याप्त हैं। चूंकि पशु पालन राजस्थान के लोगों का एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय है, अतः पशु स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करना आवश्यक है। अतः वर्ष 1989-90 में 200 नए पशु चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव है।

डेयरी विकास

71. डेयरी विकास क्षेत्र में, नए उप नियमों के तहत पहली बार चुनाव कराए जा रहे हैं। सक्रिय दुग्ध उत्पादक सहकारी

समितियों के चुनाव कराए जा चुके हैं तथा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी यूनियनों के चुनाव कराने की प्रक्रिया चल रही है । इन चुनावों के जरिए सहकारी आन्दोलन को गति तो मिलेगी ही, साथ ही प्रबन्धन के सभी स्तरों पर दुग्ध उत्पादकों का प्रतिनिधित्व होगा जिससे सहकारी क्षेत्र के सुदृढ़ विकास के लिए नई दिशा प्राप्त होगी । संघ ने अपनी गतिविधियों में विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया है । हाल ही में "सरस रसगुल्ला" का उत्पादन प्रारम्भ किया गया है । इसके अलावा सरस पनीर व 90 दिन तक खराब न होने वाले "टैट्रापैक दूध" के भी उत्पादन की योजना है ।

72. वर्ष 1989-90 के लिए, 550 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां बनाने का तथा इनकी सदस्य संख्या 58,000 तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है । इससे सहकारी समितियां की कुल संख्या 5,226 तथा उनकी सदस्य संख्या 3.95 लाख हो जाएगी । कुल 27.30 करोड़ लीटर दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । एन. डी. डी. बी. की सहायता से 115 हजार मेट्रिक टन संतुलित पशु आहार वितरित करने, भरतपुर व धौलपुर में डेयरी संयंत्र व गंगानगर में एक अवशीतन केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

वन

73. वानिकी क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में वृक्षविहीन पहाड़ियों पर वृक्ष लगाने, चारागाहों के विकास के लिए पौध रोपण का कार्य करने, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक-वानिकी कार्यों को पूरा कराने तथा लघु वन उपज के विकास को विशेष महत्व दिया गया है ।

74. राज्य की लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर पहाड़ियां वृक्षहीन एवं वनस्पति शून्य हैं । क्रमबद्ध तरीके से इन क्षेत्रों को पुनः वनाच्छादित करने के लिए वनारोपण की एक योजना लागू की जा

रही है । इस हेतु 3800 हैक्टेयर भूमि पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए 88 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है ।

75. आबादी के आस पास के क्षेत्रों में चारागाह भूमि एवं ईंधन हेतु पौध रोपण के कार्य में जन सहयोग की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक-वानिकी कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1100 गांवों में वन रोपण करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाएगा ।

76. राजस्थान लकड़ी के कार्य के लिए जैसे बाड़मेरी फर्नीचर, काठ के खिलौने एवं बांस की बनी चीजों आदि, के लिए प्रसिद्ध है किन्तु कुछ समय से, इन पदार्थों के निर्माण में काम आने वाली लकड़ी की उपलब्धता में कमी हुई है । अतः स्थानीय वनों पर आधारित उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लघु वनोत्पाद के विकास के लिए एक 100 प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रारम्भ की जा रही है ।

पेयजल

77. राज्य की वार्षिक योजना में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 1989-90 में 57.8 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है । इसमें से 29.8 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्र जल प्रदाय योजना हेतु एवं 28 करोड़ रुपये ग्रामीण जल प्रदाय योजना हेतु रखे गये हैं ।

78. वर्ष 1989-90 में 1500 गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है । इस प्रकार मार्च, 1990 तक कुल 32400 गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध हो जावेगी । इसके अतिरिक्त टेक्नोलोजी मिशन के तहत बाड़मेर, चूरू एवं नागौर जिलों में योजनाएं चल रही हैं । इस मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से विभिन्न कार्यों हेतु जिला बाड़मेर के लिए 2.06 करोड़

रुपये, नागौर हेतु 1.6 करोड़ रुपये व चूरू हेतु 1.6 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हो चुका है। टेक्नोलोजी सब मिशन के अन्तर्गत राजस्थान में 75 लवण मुक्ति संयंत्र लगाये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है एवं वर्ष 1989-90 में इसी प्रकार के 100 और संयंत्र लगाये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त होने की आशा है। इसी प्रकार डिफ्लोरिडेशन सब मिशन के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 150 और संयंत्रों की स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

79. केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 356 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 1989-90 में ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के लिए प्रस्तावित की है। हमारा यह प्रयास होगा कि इस त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तृत योजनाएं बनाकर अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त की जावे।

80. अजमेर, ब्यावर किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी एवं सरवाड़ नगरों को अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बीसलपुर परियोजना पर कार्य प्रगति पर है। इस योजना की अनुमानित लागत 64.37 करोड़ रुपये है। इसके द्वारा पम्पिंग स्टेशन-1 से केकड़ी के सर्विस रिजर्वायर 7 तक पाईप लाईन बनाने व बिछाने का कार्य आवंटित किया जा चुका है। वर्ष 1989-90 के दौरान बीसलपुर बांध से केकड़ी तक की पाइप लाइन का कार्य पूरा किया जाना प्रस्तावित है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने उक्त योजना के कार्य को पूर्ण करने हेतु 27.34 करोड़ रुपये की राशि ऋण स्वरूप देने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत 8 करोड़ रुपये की पहली किस्त इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो जायेगी। वर्ष 1989-90 में इस योजना पर 7 करोड़ रुपये योजना मद से एवं 8 करोड़ रुपये भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण राशि से इस प्रकार कुल 15 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। बांध का निर्माण सिचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जलदाय विभाग का हिस्सा 21.22 करोड़ रुपये है। इस बांध हेतु इस वर्ष 12 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1989-90 में 19 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

81. जोधपुर शहर की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु इन्दिरा गान्धी नहर से पानी उपलब्ध कराने की लिफ्ट योजना, जिसकी अनुमानित लागत 103 करोड़ रुपये है, का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1988-89 में इस हेतु 10.31 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है तथा वर्ष 1989-90 में 1.35 करोड़ रुपये की राशि आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त इस योजना पर रक्षा मंत्रालय, जीवन बीमा निगम तथा विशेष अग्रिम आयोजना सहायता से धनराशि उपलब्ध कराने के प्रयत्न जारी हैं।

82. उदयपुर नगर के मुख्य जल स्रोत पिछोला झील और फतेहसागर बांध में जल की आवक कम होने एवं लगातार अनावृष्टि के कारण उदयपुर नगर की पेयजल समस्या के आपात समाधान हेतु तात्कालिक योजना के अतिरिक्त, समस्या के स्थायी हल को ध्यान में रखते हुए मानसी वाकल योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। वर्ष 1989-90 में इस योजना को प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 50 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

83. इस वर्ष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यधिक विस्तार किया गया है तथा राज्य के मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध अस्पतालों में रोगियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि की गई है। मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया एवं राजस्थान विश्वविद्यालय ने एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में फोरेन्सिक मेडीसन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा ब्लड ट्रान्सफ्यूजन एवं इम्यूनों हेमेटोलोजी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा चालू करने की अनुमति दे दी है। राज्य में दन्त

चिकित्सकों की बहुत कमी है। अतः इस कमी की पूर्ति के लिए बी. डी. एस. में प्रवेश संख्या 15 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। आक्यूपेशनल थेरेपी एवं फिजियोथेरेपी में स्नातक पाठ्यक्रमों का अनुमोदन कर दिया गया है तथा इनमें इस शैक्षणिक वर्ष से प्रवेश प्रारम्भ हो जाएगा।

84. रोगियों की बेहतर देखभाल के लिए एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में अनेक नवीन सुविधाएं एवं नई स्पेशियलिटी खोली गई हैं। इनमें प्रमुख बर्न यूनिट, ट्रामा यूनिट, ट्रांस-प्लान्ट वार्ड, बैरियर नर्सिंग केयर यूनिट, माइक्रो न्यूरो सर्जरी, आंख के रोगों का लेसर उपचार, स्पेक्ट आर्गेन इमेजिंग आदि हैं। इण्डो जापान कोलेबोरेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत उपहार के रूप में प्राप्त अनुमानित डेढ़ करोड़ रुपये की लागत का एक कैट स्कैन, होल बोडी एटेचमेंट सहित, इस अस्पताल में संस्थापित किया जा रहा है। आशा है कि निकट भविष्य में यह कार्य करना प्रारम्भ कर देगा।

85. महिला चिकित्सालय में भी रोगियों की देखभाल अच्छे ढंग से करने के लिए, एक नियोनेटल यूनिट, रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट, सोनोग्राफी, नया ओ. पी. डी. ब्लाक, पैथोलोजी लेबोरेटरी तथा ब्लड बैंक की स्थापना की गई है।

86. मेडिकल कालेज, जोधपुर में मातृ एवं शिशुओं को प्रदान की जा रही विशेषीकृत सेवाओं को अधिक सक्षम किये जाने की सम्भावना है। भारत सरकार इसे अगले वर्ष स्वतन्त्र एवं पूर्ण रीजनल इन्स्टीट्यूट के रूप में क्रमोन्नत कर रही है।

87. 1989-90 के लिए वार्षिक योजना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 35.5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा प्रदान करने एवं उसमें सुधार लाने के लिए, निम्न प्रस्ताव किए गये हैं:—

1. 100 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना।
2. 50 ग्रामीण चिकित्सालयों को एम. एन. पी. अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करना।
3. 50 सी. एच. सी. अथवा रेफरल अस्पताल स्थापित करना।
4. सी. एच. सी. में 10 एक्स-रे मशीनों एवं 10 रोगी वाहनों को उपलब्ध करना।
5. 80 ग्रामीण चिकित्सालयों में मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाएं प्रदान करना।
6. पी. एच. सी. एवं सी. एच. सी. में 100 शय्याओं की वृद्धि करना।
7. 3 रेफरल अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सक्षम बनाना।
8. 200 उप केन्द्रों को क्रमोन्नत करना।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में 1508 नए उप केन्द्र खोलना।
10. जिन शहरों में रोगी वाहन एवं एक्स-रे मशीनों की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन सभी नगरों में ऐसी सेवायें प्रदान करना।
11. तीन नए शहरी चिकित्सालय एवं अजमेर, उदयपुर तथा बीकानेर में सैटेलाइट अस्पताल खोलना।
12. तिलक नगर, जयपुर एवं डिस्पेन्सरी नं. 3 बीकानेर में मातृ एवं शिशु केन्द्रों की स्थापना करना।
13. 200 नए आयुर्वेदिक औषधालय खोलना।
14. यू. एन. एफ. पी. ए. परियोजना का द्वितीय चरण 1989-90 में प्रारम्भ किया जाएगा। इस परियोजना में पांच वर्षों की अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा में गुणात्मक सुधार करने तथा चिकित्सा

संस्थाओं के निर्माण के लिए लगभग 19 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे ।

शिक्षा

88. मानवीय संवेदनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्रीय उच्च आकांक्षाओं को विकसित करने में शिक्षा की अहम भूमिका रहती है। शिक्षा की इस महत्वपूर्ण भूमिका को अंगीकार करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा विकास के बहु-आयामी प्रयत्नों पर जोर दिया गया है।

89. विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तरों पर शिक्षा का विस्तार करने व उसके स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। कुछ प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं :—

1. सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं श्री गंगानगर जिलों में स्कूल भवनों के निर्माण के लिये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सेवाओं के प्रावधान के लिए तथा जन शिक्षण निलयम एवं सौर ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना के लिए तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए भारत सरकार से 431 लाख रुपये की सहायता प्राप्त हुई है।

2. बी.ए.डी.पी. क्षेत्रों में 396 नये प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण कराने, उनमें न्यूनतम आवश्यक सुविधायें प्रदान करने व इन शालाओं में नियुक्त किए जाने वाले 792 अध्यापकों के वेतन का भार वहन करने के लिए केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 5.4 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो जाने की आशा है। इसके अलावा 4 कन्या छात्रावासों का निर्माण कर उनमें फर्नीचर, बरतन आदि की सुविधायें प्रदान कराने के लिए 60 लाख रुपये और मिलने की आशा है।

3. सीमान्त जिलों में 400 जन शिक्षण निलयम स्थापित करने के लिए बी.ए.डी.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से 56 लाख रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।

4. शिक्षक प्रशिक्षण को अधिक सक्षम बनाने के लिए व 9 जिलों में जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसके अलावा एक बी.एड. कालेज को "इन्स्टीट्यूट आफ एडवान्स्ड स्टडीज इन एजुकेशन" के रूप में तथा दो बी.एड. कालेजों को "कालेज आफ टीचर्स एजूकेशन" के रूप में क्रमोन्नत करने के लिए भी भारत सरकार से शीघ्र स्वीकृति प्राप्त होने की आशा है।

5. "एनवायरमेन्टल ओरिएन्टेशन टू स्कूल एजूकेशन" योजना के अन्तर्गत 1.2 करोड़ रुपये व्यय किए जाने के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं। आशा है इसके लिए भी स्वीकृति शीघ्र ही मिल जायेगी।

6. 9 जिलों में "विज्ञान शिक्षा उन्नयन कार्यक्रम" प्रारम्भ करने के प्रस्तावों पर भारत सरकार विचार कर रही है तथा इस हेतु इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्राप्त होने की आशा है। अगले वर्ष इस कार्यक्रम को शेष नौ जिलों में और लागू कर दिया जाएगा। इस प्रकार राज्य के सभी 27 जिलों में यह कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाएगा।

7. चालू वर्ष में 71 पंचायत समितियों में आपरेशन ब्लेक बोर्ड कार्यक्रम लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अध्यापकीय शालाओं में दो अध्यापक नियुक्त

करने तथा "न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं" के रूप में वहां दो कमरों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। इसके लिये 6.5 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिये गये हैं तथा इसकी स्वीकृति जल्दी ही प्राप्त होने की उम्मीद है।

8. 1989-90 में, शेष 73 पंचायत समितियों में भी आपरेशन ब्लेक बोर्ड कार्यक्रम लागू कर दिया जाएगा।

9. जैसा निर्णय किया गया है उन सभी गांवों और ढाणियों में जहां जनसंख्या 250 या इससे अधिक है तथा उन रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में जहां की जनसंख्या 200 या इससे अधिक है, प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 1989-90 में 3000 प्राथमिक शालाएं/पंचायत शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

10. 600 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया जाएगा।

11. नगरीय क्षेत्रों में आपरेशन ब्लेक बोर्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण कराने के लिये 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

12. 600 उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।

13. अब तक 20 जिलों में नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं। राज्य के शेष 7 जिलों में भी अगले वर्ष नवोदय विद्यालयों की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

14. विषयों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। अगले वर्ष से सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों में अतिरिक्त 75 नए संकाय और खोले जाएंगे।

15. 10 जमा 2 योजना के अन्तर्गत 640 सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालयों को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

16. सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालयों में 100 नए विषय भी प्रारम्भ किए जाएंगे।

17. 50 सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालयों में अगले वर्ष से व्यावसायिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

18. 28 नये विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा सुविधा प्रदान की जाएगी।

19. अगले वर्ष में, शेष 10 जिलों में जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए, एक बी. एड. कालेज को "इन्स्टीट्यूट आफ एडवान्स्ड स्टेडीज" में तथा दो बी. एड. कालेजों को "कालेज आफ टीचर्स एजुकेशन" में क्रमोन्नत करने के लिए भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने की उम्मीद है। इससे 1990 तक सभी जिलों में जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्य करने लगेंगे।

20. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता अभिवृद्धि के लिए राज्य में चल रही योजना का लाभ, अगले वर्ष से और अधिक छात्रों को दिया जाएगा।

90. कालेज शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ नये कदम इस प्रकार उठाये जाने का प्रस्ताव है:—

1. कालेजों में 10 नये विषय खोले जाएंगे।

2. करौली एवं सिरोही राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान विषय प्रारम्भ किया जाएगा।

3. राजस्थान विश्वविद्यालय में, एन्थ्रोपोलोजी में पं. गोविन्द बल्लभ पंत पीठ स्थापित की जाएगी तथा हिन्दी में पूर्व में स्थापित सुब्रह्मण्यम् भारती पीठ के लिए विश्वविद्यालय को विशेष अनुदान दिया जायेगा।

तकनीकी शिक्षा :

91. तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में चालू वर्ष में पर्याप्त विस्तार हुआ है। इस वर्ष एक डिप्लोमा कालेज को डिग्री स्तर के कालेज में क्रमोन्नत किया गया है तथा 6 नए पोलीटेक्नीक व 10 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। अतः अब अगले वर्ष नये पोलीटेक्नीक संस्थान खोलने के स्थान पर खोले गए इन विद्यमान संस्थानों को ही अधिक सक्षम बनाने पर में जोर देना चाहूंगा:—

1. पुराने पोलीटेक्नीक संस्थानों की मशीनों एवं उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

2. भारत सरकार द्वारा इस वर्ष "फूड क्राफ्ट्स इन्स्टीट्यूट" जयपुर क्रमोन्नत नहीं किया जा सका है, परन्तु अगले वर्ष इसे क्रमोन्नत किये जाने की सम्भावना है। इसके अलावा अगले वर्ष उदयपुर में भारत सरकार के सहयोग से एक नये फूड क्राफ्ट्स इन्स्टीट्यूट की स्थापना होने की आशा है।

3. सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारत सरकार से प्राप्त सहायता से बाड़मेर पोलीटेक्नीक के भवन का निर्माण कार्य कराने तथा उसके लिए अधिक उपकरण लाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस कार्य के लिए अब तक हमें 134 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है।

4. दस नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 6 लड़कों के लिए तथा 4 लड़कियों के लिए खोले जायेंगे।

5. चालू वर्ष में खोले गए दस नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को वर्ष 1989-90 में अधिक सक्षम बनाया जाएगा तथा उनका विस्तार भी किया जाएगा।

6. अगले वर्ष दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने हैं जिनमें से एक सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में तथा दूसरा मेवात विकास बोर्ड परियोजना के अन्तर्गत कामा जिला भरतपुर में खोला जाएगा।

7. वर्ष 1989-90 में भारत सरकार की सहायता से भरतपुर में महिलाओं के लिए एक प्रादेशिक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है।

8. विश्व बैंक परियोजना के अधीन, पुराने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की मशीनों एवं उपकरणों के आधुनिकीकरण का तथा महिलाओं के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सक्षम बनाने का कार्य हाथ में लिया जाएगा।

9. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में अगले वर्ष से "प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर" का एक नया ट्रेड प्रारम्भ किया जाएगा। इसके अलावा विद्यमान प्रशिक्षण

संस्थानों में चार नए ट्रेड अथवा यूनिट्स भी प्रारम्भ किये जायेंगे ।

पंचायत शिक्षा केन्द्र :

92. प्रत्येक वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रावधानों के बावजूद संसाधनों की कमी के कारण, राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों एवं सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षा की संस्थायें स्थापित करना सम्भव नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त इन शालाओं में अध्यापक, अध्यापिकाओं की लम्बे समय तक अनुपस्थिति एवं शहरी क्षेत्रों की ओर निरन्तर बढ़ता हुआ दबाव भी इसमें बाधक है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत 6–11 आयु वर्ग के समस्त बालकों के लिये शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये वर्तमान व्यवस्थाओं के अतिरिक्त "पंचायत शिक्षा केन्द्र योजना" प्रस्तावित है । पंचायती राज संस्थाओं में हमारी दृढ़ आस्था है । राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा का सम्पूर्ण दायित्व पंचायतों के क्षेत्र में पंचायतों को देना चाहती है । इन केन्द्रों में वही पाठ्यक्रम रहेगा जो औपचारिक शिक्षा हेतु निर्धारित एवं प्रचलित है । प्रारम्भ में कक्षा 3 तक की कक्षाएं संचालित होंगी । अध्यापन का कार्य करने वाले शिक्षा सहायकों की योग्यता सेकेण्डरी उत्तीर्ण होगी । इन शिक्षा सहायकों को अल्प अवधि का प्रशिक्षण दिया जायेगा । केन्द्र का समय साढ़े तीन घण्टे प्रतिदिन होगा । पंचायत शिक्षा केन्द्रों की वित्त व्यवस्था के लिये प्रतिवर्ष राज्य सरकार पंचायतों को अनुदान देगी । इस योजना के परिव्यय के लिये अगले वर्ष 1.50 करोड़ रुपये के व्यय होने की सम्भावना है ।

आवास एवं नगरीय विकास

राजस्थान आवासन मण्डल :

93. राजस्थान आवासन मण्डल राज्य के विभिन्न शहरों में वर्ष 1989-90 में 40,000 मकान बनायेगा जिनके निर्माण पर लगभग 82 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । इसमें से 8,000 मकान बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत होंगे ।

94. इन मकानों के आवंटन से आगामी वर्ष के अन्त तक सांगानेर के अतिरिक्त सभी शहरों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के मार्च, 1988 तक के सभी आवेदकों को मकान मिल जायेंगे । जयपुर में 1979 तक के सभी वर्गों के सभी पंजीकृत आवेदकों को मकान उपलब्ध हो जायेंगे ।

95. नेहरू शताब्दी वर्ष में कलाकारों, शिल्पकारों, बीड़ी मजदूरों, बुनकरों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए मण्डल एक विशेष योजना के अन्तर्गत 6,000 मकान बनायेगा । इस योजना के अन्तर्गत विकसित भू-खंड उपलब्ध कराकर निर्माण के लिए ब्याज की कम दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा । साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के आर्थिक उत्थान हेतु सस्ती दुकानें भी उपलब्ध कराई जायेंगी ।

नगरीय विकास :

96. अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह तथा पुष्कर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर श्रद्धालु एवं पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर इन स्थानों के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये स्वीकृत करने के लिए मैंने पिछले बजट भाषण में घोषणा की थी । नाथद्वारा भी एक महत्वपूर्ण स्थान है । राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि उक्त तीनों स्थानों का उचित विकास किया जाये, इस हेतु वर्ष 1989-90 में 30 लाख रुपये का प्रावधान किया जायेगा ।

स्थानीय निकायों को ऋण :

97. शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्या को हल करने के लिए हमारे स्थानीय निकायों द्वारा भूमि उपलब्ध करने की प्रक्रिया

को और गतिशील करना है। योजनाओं की सफल क्रियान्विति के लिये भूमि की समय पर उपलब्धि एवं यह सुनिश्चित करने के लिये शहरी जमीनों की कीमतें अनावश्यक रूप से नहीं बढ़े, स्थानीय निकायों को एक करोड़ रुपये की राशि देना प्रस्तावित है। यह राशि ऋण के रूप में दी जाएगी। वर्ष के दौरान यदि और राशि की आवश्यकता होगी तो उसके परिव्यय के लिए समुचित व्यवस्था की जायेगी।

उद्योग :

98. राज्य में फरवरी, 1989 तक 1.42 लाख लघु एवं दस्तकार इकाइयां पंजीकृत की जा चुकी हैं जिनमें 670 करोड़ रुपये का विनियोजन एवं 5.3 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की सहायता से 20,000 इकाइयों के लक्ष्य के विपरीत 21,677 इकाइयों के प्रार्थना-पत्र अभिशंसा के साथ बैंकों को भिजवाये जा चुके हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 2000 लघु औद्योगिक इकाइयों के पंजीयन के लक्ष्य की तुलना में 2155 इकाइयां पंजीकृत की जा चुकी हैं।

99. राजस्थान हाथ कर्घा विकास निगम ने इस वर्ष 874 बुनकरों को आधुनिक तकनीकी में प्रशिक्षण दिया जिसमें 95 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं।

100. जयपुर के पारम्परिक रत्न उद्योग व्यवसाय को आधुनिक तकनीकी एवं विपणन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हिन्दुस्तान डायमण्ड कम्पनी लि. के गहन सहयोग से एक जैम स्टोन इण्डस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई है जिसमें 400 इकाइयां होंगी। 15,000 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा और 60 करोड़ रुपये का निर्यात संभावित हो सकेगा।

101. राज्य में स्वर्ण आभूषणों की तकनीक के विकास करने एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु जयपुर में गोल्ड ज्वेलरी काम्पलेक्स की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। ऐसी आशा है कि इस काम्पलेक्स की स्थापना से लगभग 2000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ हो सकेंगे।

102. निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कन्टेनर फ्रेट स्टेशन स्थापित किये जाने की भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। स्टेशन के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। आशा है आगामी वर्ष में इस केन्द्र से नियमित रूप से निर्यात प्रारम्भ हो सकेगा।

103. पिछड़े क्षेत्र में प्रभावी रूप से औद्योगीकरण करने हेतु भारत सरकार ने ग्रोथ सेन्टर्स की योजना घोषित की है जिसका जिक्र केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी किया है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में 4 ग्रोथ सेन्टर्स खोले जायेंगे इनमें आधारभूत सुविधायें विशेष रूप से विद्युत, जल, दूर संचार एवं बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। मैं आशा करता हूं कि राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण हेतु उपयुक्त वातावरण विकसित हो सकेगा।

104. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा वर्ष 1989-90 में लगभग 12 औद्योगिक क्षेत्रों में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की भांति औद्योगिक कस्बों और विकास केन्द्रों को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

105. राजस्थान वित्त निगम उद्योगों को कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध कराने के लिये एक योजना तैयार कर रहा है जिसके अन्तर्गत 5 लाख रुपये के ऋण एवं 2.5 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी उद्यमियों को स्वीकृत की जायेगी। निगम ने परियोजना की क्रियान्विति वर्तमान अवधि भी 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दी है।

106. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम तथा राजस्थान वित्त निगम रुग्ण इकाइयों के पुनरूद्धार/पुनर्जीवन हेतु विशेष रूप से प्रयत्नशील है। राज्य में रुग्ण एवं बन्द औद्योगिक इकाइयों के पुनर्जीवन की दिशा में इस वर्ष कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गये हैं। इस प्रकार की इकाइयों हेतु उद्योगों के लिए विक्रय कर प्रोत्साहन स्कीम तथा विक्रय कर ग्रास्थगन स्कीम तो 1987 से लागू है ही, साथ ही बिजली सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा राज्य बिजली बोर्ड को निर्देश जारी किये गये हैं, उसके प्रमुख अंश नीचे दिए हैं। ये निर्देश उन औद्योगिक इकाइयों के लिए लागू होंगे, जो कि रुग्णता के कारण बन्द हो गई है एवं उनका पुनर्जीवीकरण बी. आई. एफ. आर. या रीको या राजस्थान वित्त निगम द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया हो :—

1. पुनर्जीवित हुई रुग्ण इकाइयों से बिजली बोर्ड द्वारा बिजली कटने की तिथि से पुनः बिजली का कनेक्शन दिए जाने तक की अवधि के लिए न्यूनतम चार्जेज वसूल नहीं किये जावेंगे।

2. ऐसी इकाइयां 2 वर्ष की अवधि तक बिजली कटौती से मुक्त होंगी। किन्हीं कारणों से ऐसा सम्भव न हो तो सामान्य इकाइयों को लागू होने वाली बिजली कटौती की 50 प्रतिशत कटौती ही इन इकाइयों पर लागू होगी।

3. ऐसी इकाइयों के लिये बिजली की बकाया राशि के भुगतान की शर्तें आदि का निर्धारण एक कमेटी द्वारा किया जायेगा। जिसमें विद्युत् मण्डल, रीको एवं आर. एफ. सी. के अध्यक्ष सदस्य होंगे।

खनिज

107. झामर कोटरा क्षेत्र में उपलब्ध रॉक फास्फेट अब बिना प्रोन्नत किये हुए खाद बनाने वाले कारखानों में उपयोग में नहीं आ सकता। इस फास्फेट को प्रोन्नत करने के लिए 160 करोड़ रुपये की लागत से बेनीफिशेसन प्लान्ट लगाया जाना प्रस्तावित है। हमारे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में, राज्य विद्युत मण्डल को छोड़कर, यह सबसे बड़ी परियोजना होगी। क्रमोन्नत फास्फेट किसानों की उर्वरक मांग की पूर्ति को सीधा प्रभावित करेगा। इस कार्य हेतु अगले वर्ष 8 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। योजना की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी लिया जायेगा।

108. राज्य के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा जैसलमेर जिले के सोनू क्षेत्र में 500 मिलियन मैट्रिक टन स्टील ग्रेड लाइम स्टोन के भण्डारों का पता लगाया गया है। इस लाइम स्टोन के उपयोग से आयात कम होगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इस वर्ष के 2 लाख मैट्रिक टन के उत्पादन की तुलना में अगले वर्ष 5 लाख मैट्रिक टन उत्पादन प्रस्तावित है और आने वाले वर्षों में इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि की जायेगी। इस समय यह कार्य आर. एस. एम. डी. सी. द्वारा किया जा रहा है। कार्य को गति देने के लिए राज्य सरकार ने आर. एस. एम. एम. एल. को भी 10 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र और लीज पर दिया है। हम इस उत्पादन को 40 लाख मैट्रिक टन तक ले जाना चाहते हैं परन्तु रेल्वे की छोटी लाइन इसमें बाधक है। मैंने अभी हाल ही में केन्द्रीय रेल्वे मंत्रीजी से इस विषय में बात की है और उन्होंने जैसलमेर से सवाई माधोपुर तक बड़ी लाइन डालने की आवश्यकता से सहमति जाहिर की है। इसमें हमारा अनुमान है कि रेल्वे को भी लाभ होगा।

परिवहन

109. 2,000 से अधिक की जनसंख्या वाले अधिकांश गांवों को बस सेवा से सम्बद्ध कर दिया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना

के अन्त तक एक हजार से अधिक जनसंख्या के ऐसे समस्त गांवों को बस सेवा से सम्बद्ध करने का लक्ष्य है जिनके मार्ग वाहन संचालन योग्य हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार ऐसे 1632 गांव हैं जिनमें से 1403 गांवों का सर्वेक्षण करवा लिया गया है और उनमें से 743 गांवों को बस सेवा उपलब्ध कराने की स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

110. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिए वर्ष 1989-90 की योजना में 8 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। निगम द्वारा अगले वर्ष में 3100 लाख कि. मी. वाहन संचालन का लक्ष्य है। यात्री सुविधाओं पर 20 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

समाज कल्याण

111. वर्ष 1989-90 में 12 नवीन छात्रावास प्रारम्भ किये जाने प्रस्तावित हैं। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को सरकार की ओर से भोजन, वस्त्र, आवास एवं स्टेशनरी की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में भोजन, वस्त्र आदि के लिए कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए 140 रुपये तथा कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए 145 रुपये प्रति माह व्यय किया जाता है। 1 मार्च, 1989 से इस राशि में वृद्धि की जाकर इसे 170 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। निजी संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान में भी इसी आधार पर वृद्धि की जायेगी।

112. अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में से कई छात्रावास किराये के भवनों में चलाये जा रहे हैं। राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम ने जनवरी, 1989 तक 59 छात्रावास भवनों के निर्माणार्थ 685 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी हैं। वर्ष 1989-90 में 50 अन्य स्थानों पर अनुसूचित जाति छात्रावास भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

113. राज्य के 12 नगरों में लगभग 15,000 सूखे शौचालयों को सस्ता फ्लश शौचालय में परिवर्तित किया जा चुका है। इस वर्ष के 12,000 शौचालयों के निर्माण के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु वांछित धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। चार और नगरों में इस योजना के विस्तार के लिए भारत सरकार के हिस्से की 1.03 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

114. राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास हेतु निम्नलिखित योजनाओं को चालू रखेगा:-

1. अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों को मात्र उनके परम्परागत व्यवसाय पर ही न रखकर अन्य लाभकारी कार्यों में लगाने के उद्देश्य से निगम अनेकानेक योजनाएं चला रहा है। जिन्हें और अधिक तेजी से लागू किया जाना प्रस्तावित है। ऑटोरिक्शा योजना के अन्तर्गत 200, शहरी एवं ग्रामीण दुकान योजना के अन्तर्गत क्रमशः 600 व 1000, भंगी कष्ट मुक्ति योजना के अन्तर्गत 500, स्काइट योजना के अन्तर्गत 6000, आर्टीजन एवं वीवर शेड योजना के अन्तर्गत 2000 परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

2. निगम द्वारा 1200 अनुसूचित जाति के परिवारों को डीजल पम्पसेट उपलब्ध कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना भी प्रस्तावित है।

3. गलीचा प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों के द्वारा निगम 250 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित करेगा।

महिला बच्चे एवं पोषाहार

115. राज्य के 24 जिलों में कुल 99 परियोजनायें कार्य कर रही हैं जिनसे 8.16 लाख बच्चों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 50 नई परियोजनाएं चालू करने का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध 38 परियोजनाएं खोल दी गई हैं। वर्ष 1989-90 में 12 नई परियोजनायें खोली जायेंगी। जिनसे एक लाख अतिरिक्त बच्चों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा। इस प्रकार से राज्य के समस्त 27 जिलों में इस कार्यक्रम का विस्तार हो जायेगा।

116. 7 मरु क्षेत्रीय जिले यथा जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर में महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिये एक योजना तैयार कर भारत सरकार को भेजी गई है। इस योजना से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों की महिलायें घर बैठकर आय प्राप्त कर सकेंगी। 5 सालों में 44,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जा सकेगा।

117. महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिये योजनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला लाभान्वितों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। वर्ष 1985-86 में जहां यह संख्या 5 प्रतिशत थी अब वह बढ़कर करीब 20 प्रतिशत हो गई है। इसमें और अधिक वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि यह 30 प्रतिशत तक पहुंच सके।

118. महिलाओं को न्याय प्रदान करने के लिये राज्य सरकार कृत संकल्प है। महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में तत्काल कार्यवाही करने के लिये राज्य का पहला पुलिस थाना जयपुर में चालू किया गया है। राज्य सरकार इसी प्रकार एक दूसरा पुलिस थाना धौलपुर में और खोलने का विचार रखती है। इन थानों के लिये महिला सिपाहियों की और भर्ती की जायेगी। महिला पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु समुचित कार्यवाही की जायेगी।

119. नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान की सिफारिश के अनुसार महिला शिशु एवं पोषाहार विभाग महिला विकास कार्यक्रमों के लिये नोडल विभाग बनाया जा रहा है। महिलाओं में जागृति एवं उनके आर्थिक विकास के क्षेत्र में स्वयं सेवी संस्थाओं के योगदान का राज्य सरकार स्वागत करती है तथा जहां आवश्यक होगा राज्य सरकार इन्हें प्रोत्साहन देगी।

अल्प संख्यक मण्डल

120. संविधान एवं कानून के अन्तर्गत, अल्प संख्यकों को प्रदत्त हितों की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित हो सके, इसके लिये सिफारिश प्रस्तुत करने तथा राज्य में अल्प संख्यकों के कल्याण के लिये उचित उपाय सुझाने के लिये एक अल्प संख्यक मण्डल स्थापित किया जा रहा है।

अन्य पिछड़ी जाति मण्डल

121. राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये पूर्व में घोषित सुविधाओं की उपलब्धि सुनिश्चित करने तथा व्यापक आधार पर इन जातियों के आर्थिक उत्थान की वृहद् योजना बनाने और उसको लागू करने का कार्यक्रम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में एक "अन्य पिछड़ी जाति मण्डल" का गठन किया जायेगा।

पर्यटन विभाग

122. राज्य में पर्यटकों के बढ़ते हुए आवागमन को देखते हुए एवं राज्य में उपलब्ध पर्यटन क्षमता में और अधिक वृद्धि करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा

देने का निर्णय लिया है। उद्योग का दर्जा देने के परिणामस्वरूप पर्यटन उद्योग को जो विशेष प्रकार की सुविधाएं और रियायतें दी जायेंगी, उनका परीक्षण करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

सड़क एवं पुल

123. परिवहन सुविधा की दृष्टि से सड़कों एवं पुलों के निर्माण का महत्व सुविदित है। वर्ष 1988-89 में सड़कों के निर्माण पर राज्य योजना में 22 करोड़ रुपये एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना में 25.9 करोड़ रुपये तथा इनके रख-रखाव हेतु 55 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अगले वर्ष सड़कों के निर्माण पर राज्य योजना में 28 करोड़ व सड़कों के रख-रखाव पर 60 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया जा रहा है।

124. इस वर्ष 1500 से अधिक की आबादी के 90 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जावेगा। वर्ष 1989-90 में लगभग 1000 किलोमीटर नयी सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। 1500 से अधिक आबादी वाले 100 गांवों एवं 280 अन्य गांवों को सड़कों से जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

125. सड़कों को वर्ष भर आवागमन हेतु खुला रखने के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्गों एवं अन्य महत्वपूर्ण सड़कों पर आने वाली बड़ी नदियों पर पुलों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जयपुर-आगरा राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बाणगंगा नदी तथा जयपुर-कोटा-भोपाल राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बनास एवं चन्द्रभागा नदी के पुलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। साथ ही सवाईमाधोपुर-शिवपुर राजमार्ग में चम्बल पर, दौसा-सवाईमाधोपुर सड़क में बनास पर एवं दौसा-सैंथल मार्ग पर बाणगंगा नदी पर पुल का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। सिकन्दरा-बांदीकुई सड़क पर बाणगंगा नदी का पुल इस वर्ष आवागमन के लिए खोल दिया गया है। बहरोड़-अलवर सड़क पर साबी के पुल का निर्माण-कार्य इस वर्ष पूर्ण होने की सम्भावना है।

126. राज्य में 8 राज मार्गों की 868 कि.मी. सड़कों को सुधारने हेतु लगभग 150 करोड़ रुपयों की योजना को विश्व बैंक द्वारा इस वर्ष स्वीकृति दी गई है जिन पर वर्ष 1989-90 से कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

127. विशेष समस्या क्षेत्र की सड़कों के अन्तर्गत धौलपुर एवं सवाईमाधोपुर में 19.8 करोड़ रुपयों की लागत के 21 सड़क निर्माण कार्य व सोने की गुर्जा के निकट एक पुल निर्माण कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार ने पांच अतिरिक्त सड़कों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की है जिसकी लागत 4.5 करोड़ रुपये तथा लम्बाई 60 कि.मी. होगी।

128. राष्ट्रीय राजमार्गों के नवीनीकरण एवं सुधार हेतु वर्ष 1988-89 में केन्द्रीय सरकार द्वारा 18.50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं जिसके अन्तर्गत 84 कि. मी. सड़कों का सुधार एवं 72 कि. मी. सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। अगले वर्ष इस प्रयोजनार्थ 25 करोड़ रुपये उपलब्ध होने की आशा है।

129. भारत सरकार ने ब्यावर-पाली-सिरोही-कांडला सड़क को राष्ट्रीय उच्च मार्ग 14 व दौसा से मनोहरपुर सड़क को राष्ट्रीय उच्च मार्ग 11-ए घोषित कर दिया है जिन पर वर्ष 1989-90 से कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

130. जयपुर में यातायात की कठिनाई को देखते हुए इस वर्ष 302 लाख रुपयों की लागत से बाईस गोदाम रेल्वे फाटक पर एक पुल के निर्माण का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है।

131. अत्यधिक यातायात वाली सड़कों के सुधार हेतु केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत 50 लाख रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 14 करोड़ रुपये प्रति वर्ष किया जावेगा।

जनजाति क्षेत्रीय विकास

132. वर्ष 1989-90 के लिए जन जाति उप योजना क्षेत्र कार्यक्रम हेतु 119.4 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया जा रहा है। इस क्षेत्र के निवासियों की यह शिकायत रही है कि इस योजना की अधिकांश धनराशि बड़ी योजनाओं पर विकास के मालिक ढांचे में सुधार पर खर्च हो जाती है तथा वैयक्तिक लाभ वाली योजनाओं के लिए धन राशि कम उपलब्ध होती है। अतः यह निश्चय किया गया है कि 40,000 व्यक्तियों को वैयक्तिक लाभ कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। प्रारम्भ किए जाने वाले कुछ नवीन एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:—

1. ग्राम सखा योजना
2. प्री बी. एड. प्रशिक्षण शिविर
3. प्रतियोगिता परीक्षा कार्यक्रमों के लिए अध्यापन
4. सवाई माधोपुर में ए. एन. एम. प्रशिक्षण केन्द्र
5. अच्छी सेवाओं के लिए पुरस्कार
6. "रतन जोत" पौध कार्यक्रमों के लिए अनुदान
7. सामुदायिक बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
8. मत्स्य बीज उत्पादन कार्यक्रम
9. पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम
10. "सी" श्रेणी के तालाबों में मत्स्य पालन का कार्यक्रम
11. मुर्गी पालन कार्यक्रम
12. बतख पालन कार्यक्रम
13. सेरीकल्चर कार्यक्रम
14. कुटीर एवं लघु उद्योगों का प्रसार

न्यायिक प्रशासन

133. वर्ष 1988-89 में चार नये अपर जिला न्यायालय खोले गये हैं। अपर जिला न्यायाधीश के दो केम्प कोर्ट चालू किये गये। इसी प्रकार चार नये ए.सी.जे.एम. न्यायालय खोले गये। वर्ष 1989-90 में दो मुंसिफ एवं एक अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोले जाना प्रस्तावित है।

प्रशासन स्तर में सुधार हेतु कार्यक्रम

134. आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1985-89 तक की अवधि के लिये पुलिस, शिक्षा, जेल, जनजाति, स्वास्थ्य, न्यायिक प्रशासन इत्यादि हेतु प्रशासन स्तर में सुधार के लिये 48.20 करोड़ रुपये का अनुदान निर्धारित किया गया था जिसमें से पूंजीगत व्यय हेतु 29.74 करोड़ रुपये व राजस्व व्यय के लिये 18.46 करोड़ रुपये थे। चालू कार्यों को पूरा करने के लिये वर्ष 1989-90 में 1.44 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

135. नौवें वित्त आयोग ने केवल वर्ष 1989-90 के लिये पूंजीगत व्यय हेतु 29.43 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है, जिसमें से स्कूल भवनों के निर्माण के लिये 19.36 करोड़ रुपये, विशेष समस्याओं के लिये 4.01 करोड़ रुपये एवं पुलिस, जेल, जनजाति, स्वास्थ्य, न्यायिक प्रशासन, जिला प्रशासन, प्रशिक्षण, कोष इत्यादि हेतु 6.06 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। तदनुसार वर्ष 1989-90 के बजट अनुमानों में धनराशि का व्यय प्रस्तावित है।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

136. स्वतन्त्रता संघर्ष में हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों ने जो महान् बलिदान एवं त्याग किये हैं उन सब पर सदन की और प्रदेश की जनता की पूर्ण श्रद्धा सदा से समर्पित रही है। इस वर्ष हम इस संघर्ष के अग्रणी और मनस्वी नेता श्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं अनुभव करता हूं कि इस अवसर पर यह एक अत्यन्त समयोचित कदम होगा कि स्वतन्त्रता

सेनानियों की सम्मान पेंशन 300 रुपये से बढ़ा कर 450 रुपये प्रतिमाह कर दी जाये।

वर्ष 1987-88 की वास्तविक स्थिति

137. वर्ष 1987-88 के अन्त में संशोधित अनुमानों के अनुसार 119.10 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित था। रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1987-88 के अन्त में 120.03 करोड़ रुपये का घाटा रहा है जो अनुमानित घाटे के लगभग ही है।

वर्ष 1988-89 के संशोधित अनुमान

138. वर्ष 1988-89 के अनुमानों के अनुसार वर्ष के अन्त में घाटा 252.04 करोड़ रुपये आंका गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान अकाल राहत मद पर लगभग 90.21 करोड़ रुपये अपने स्वयं के साधनों से अतिरिक्त व्यय होने की सम्भावना है। इसके कारण सम्भावित घाटा बढ़ कर 342.25 करोड़ रुपये हो जाना चाहिये था।

139. इस घाटे को कुछ सीमा तक पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपायों की ओर गत वर्ष इंगित किया था। उस दिशा में हमने सतत् प्रयास किया है। मुझे यह कहते हुये हर्ष होता है कि बजाय 342.25 करोड़ रुपये के अब यह घाटा केवल 148.66 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। बेहतर वित्तीय प्रबन्ध एवं अन्य प्रयासों से स्थिति में लगभग 194 करोड़ रुपये का सुधार लाया जा सका है।

140. माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि राज्य सरकारों को अब अनिश्चितकालीन ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इतने बड़े घाटे की विपरीत स्थिति के बावजूद, प्रभावी वित्तीय अनुशासन एवं राजकीय व्यय पर कड़े नियंत्रण से वर्ष में राजस्थान में भुगतान बन्द होने की स्थिति नहीं आई।

141. राज्य सरकार का यह निश्चय है कि इन उपायों को अर्थात् करों की बेहतर वसूली, अनावश्यक और अनुत्पादक खर्चों में कमी एवं केन्द्र से अधिक से अधिक सहायता इत्यादि को उसी स्तर पर चालू रखा जायेगा। वित्तीय अनुशासन को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जायेगा। सम्पूर्ण राजकीय व्यय का पुनर्निरीक्षण किया जायेगा और जहां से सम्भव होगा राशि को बचाकर गरीब जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लगाने का मेरी सरकार का दृढ़ निश्चय है।

1989-90 के बजट अनुमान

142. वर्ष 1989-90 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण–

	करोड़ रुपयों में
1. राजस्व प्राप्तियां	2523.80
2. राजस्व व्यय	2599.61
3. राजस्व खाते में घाटा	−75.81
4. पूंजीगत प्राप्तियां	1402.96
5. योग (3 तथा 4)	1327.15
6. पूंजीगत व्यय	1278.35
7. शुद्ध योग (5−6)	+48.80

143. पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्यय में भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम के रूप में प्राप्त होने वाली और उसके पुनर्भुगतान की राशि सम्मिलित है।

144. वर्ष 1988-89 के अन्त में रहे 148.66 करोड़ रुपये के सम्भावित घाटे के कारण वर्ष 1989-90 के अन्त में समग्र घाटा 99.86 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राज्य कर्मचारियों की लम्बी हड़ताल के बाद जो समझौता किया गया है उसका वार्षिक भार लगभग 114 करोड़ रुपये आंका गया है। इसके अतिरिक्त

वर्ष 1989-90 में लगभग 28 करोड़ रुपये के एरियर्स का भी भार आयेगा, पर वर्ष 1989-90 में नगद भुगतान लगभग 104 करोड़ रुपये का ही किया जायेगा। इस अतिरिक्त धनराशि के प्रावधान के लिये आगामी वर्ष यथासमय समुचित कार्यवाही की जायेगी। इसके भुगतान से वर्ष 1989-90 के अन्त में सम्भावित घाटा 203.86 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

145. मेरे द्वारा प्रस्तावित मुख्य-मुख्य कार्यक्रमों के लिये यद्यपि बजट अनुमानों में व्यवस्था करदी गई है फिर भी कुछ कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त परिव्यय की आवश्यकता होगी जिसके लिये यथासमय समुचित कार्यवाही की जावेगी।

कर प्रस्ताव

146. जैसा कि मैं पहले चर्चा कर चुका हूं हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था जो कि लगातार चार अकाल वर्षों के कारण चरमरा गयी थी, अब पुनः प्रगति की ओर उन्मुख होने लगी है। इन परिस्थितियों में, मैं अपने प्रयास, नये कर लगाने के स्थान पर, करों की बेहतर वसूली एवं करों के अपवंचन को रोकने हेतु केन्द्रित करना चाहूंगा।

147. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में अभाव की स्थिति रहने के बावजूद, करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि हुई है। करों की वसूली, खास तौर से बिक्री कर की वसूली काफी उत्साह-वर्धक रही है। जहां वर्ष 1988 में फरवरी माह तक 650.89 करोड़ रुपये कर राजस्व के रूप में एकत्रित किये गये थे, वहीं इस वर्ष फरवरी माह तक 721.59 करोड़ रुपयों की वसूली हुई है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि आगामी वर्ष में राजस्व की इस बढ़ोतरी को साधारण व्यक्ति पर कर भार बढ़ाये बिना ही, बनाये रखा जावे।

148. राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों में, अल्प बचत संग्रह के विरुद्ध मिलने वाले ऋण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह हर्ष का विषय है कि चालू वित्तीय वर्ष में अल्प बचत संग्रह की गति उत्कृष्ट रही है। हमें, इस वर्ष के अन्त तक विभिन्न अल्प बचत योजनाओं में 225 करोड़ रुपये एकत्रित होने की आशा है, जो कि अल्प बचत के अन्तर्गत अब तक का सबसे अधिक संकलन होगा। चालू वित्तीय वर्ष में, 120 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले, अल्प बचत संग्रह के विरुद्ध मिलने वाले ऋण के रूप में 163.45 करोड़ रु. की प्राप्ति हुई जो कि बजट अनुमान के विरुद्ध 36 प्रतिशत से अधिक है। अल्प बचत संग्रह में यह आशातीत प्रगति, दृढ़ता के साथ किये गये प्रयासों के कारण संभव हुई है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि अल्प बचत योजनाओं में अधिक से अधिक जन सहयोग प्राप्त किया जावे ताकि अल्प बचत संग्रहण की वर्तमान गति को अगले वर्ष भी बनाये रखा जा सके।

149. माननीय सदस्यों को यह स्मरण होगा कि पिछले वर्ष के बजट में व्यापार व वाणिज्यिक प्रवृत्तियों को सुगम बनाने की दृष्टि से कर प्रक्रिया, ढांचे एवं विधि को सरल एवं युक्तिसंगत बनाने का निष्ठापूर्ण प्रयास किया गया था। मैं इस वर्ष भी, उपरोक्त उद्देश्य को कायम रखना तथा बढ़ाना चाहता हूं।

150. सदन को जानकारी है कि पिछले वर्ष, विक्रय कर पर अधिभार को समाप्त करते समय, कर दरों को युक्ति संगत बनाया गया था। इस वर्ष व्यापार एवं उद्योग क्षेत्रों से, विक्रय कर दरों को और अधिक युक्तिसंगत व सरल बनाने के सम्बन्ध में मुझे अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। चारों ओर से उठी इस मांग को ध्यान में रखते हुए, विक्रय कर दरों को युक्तिसंगत बनाने, समान मदों को एक साथ रखने एवं कर सूची में मदों की संख्या को कम करने के यथार्थ पूर्ण प्रयास किये गये हैं। इस प्रयास को तत्काल प्रभाव से क्रियान्वित करने के लिये, मैं विक्रय कर दरों को पुनः अधिसूचित

करते हुए, एक अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे विश्वास है कि सरलीकरण के इस कदम का व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से स्वागत किया जावेगा।

151. आपको यह स्मरण होगा कि वर्ष 1988-89 के बजट भाषण में, मैंने ऐसे समस्त व्यवहारियों को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के तहत विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा था, जो केवल कर मुक्त एवं कर संदत्त माल का विक्रय करते हैं तथा जिनका वार्षिक टर्नओवर पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में 15 लाख से अधिक न हो। ऐसा करते समय मेरे मन में यह विचार था कि समय के साथ-साथ यह राहत व्यवहारी के टर्नओवर की सीमा को देखे बिना ही दी जा सकेगी। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे लिये वर्तमान में ही ऐसा किया जाना सम्भव हो गया है। अतः मैं ऐसे सभी व्यवहारियों को विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त करने का प्रस्ताव रखता हूं जो केवल कर मुक्त एवं कर संदत्त माल का विक्रय करते हैं। इस प्रकार दो वर्ष के छोटे अन्तराल में 50 हजार से अधिक ऐसे छोटे फुटकर व्यवहारियों को जो कि राज्य के ग्रामीण एवं दूरस्थ इलाकों में फैले हुए हैं, विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है। अतएव समस्त प्रयोजनार्थ 50,000 व्यवहारियों को वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले लिया गया है। मुझे विश्वास है कि इस कदम का, व्यापार एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से स्वागत होगा।

152. माननीय सदस्यों को यह स्मरण होगा कि पिछले बजट भाषण में मैंने 7 लाख रुपये तक वार्षिक टर्नओवर वाले ऐसे व्यवहारियों, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक कर योग्य टर्नओवर प्रदर्शित करते हैं, के लिये 1 अप्रेल, 1988 से एक नई स्वकर निर्धारण योजना प्रस्तावित की थी। इसी क्रम की निरन्तरता में, अब मैं इस योजना को और अधिक उदार बनाने का प्रस्ताव करता हूं, जिसका लाभ 10 लाख रुपये तक वार्षिक टर्नओवर वाले ऐसे व्यवहारी प्राप्त कर सकेंगे, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 15 प्रतिशत अधिक कर योग्य टर्नओवर प्रदर्शित करें। यह संशोधित योजना अत्यन्त व्यवहारिक होने के कारण बड़ी लोकप्रिय सिद्ध होगी। मैं सभी पात्र व्यवहारियों से इस योजना का भरपूर लाभ उठाने की अपील करता हूं।

153. व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र द्वारा कच्चे माल एवं विधायन सामग्री क्रय करने हेतु घोषणा पत्रों को उपयोग में लाने के वर्तमान चलन को समाप्त करने की मांग सतत् रूप से की जाती रही है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमारे राज्य में भी विनिर्माता कच्चे माल व विधायन सामग्री को सामान्य दर पर क्रय करें लेकिन इस प्रकार क्रय किए गये माल से निर्मित सामग्री पर विक्रय कर जमा कराते समय रियायती दरों का लाभ स्वतः "सैट आफ" के रूप में लिया जा सकेगा। इस प्रयोजन हेतु राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 5-ग, 5-गग, 5-गगग एवं 5-गगगग को विलोपित कर नई धारा 5-आई प्रतिस्थापित की जावेगी। प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मेरा मानना है कि व्यवहारियों द्वारा घोषणा पत्रों के बड़ी संख्या में होने वाले आदान प्रदान में निहित कठिनाइयों से छुटकारा दिलाने वाले इस महत्वपूर्ण कदम का व्यवहारियों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया जावेगा। इस तथा कुछ अन्य प्रस्तावों, जिनमें विधि में संशोधन अन्तर्वलित हैं को क्रियान्वित करने हेतु विधि में समुचित संशोधन, राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1989 के माध्यम से, इसी विधान सभा सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

154. माननीय सदस्यों को पूरा आभास है कि राज्य अभूतपूर्व वित्तीय संकट से गुजर रहा है। इसके बावजूद भी मैं समाज के कमजोर वर्ग एवं आम आदमी को करों में कुछ राहत देना चाहूंगा।

155. अपने भाषण के पूर्व हिस्से में मैंने कृषकों को कुछ राहत देने का प्रयास कियाहै । इसी क्रम की निरन्तरता में, मैं कृषि संयन्त्रों के स्पेयरपार्ट्स एवं उपसाधनों के विक्रय को कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं । मैं ट्रेक्टरों के उपसाधनों, की विक्रय कर दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत तथा ट्रेक्टरों के स्पेयरपार्ट्स एवं पेस्टीसाईड व फंगीसाइड की विक्रय कर दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी करता हूं । इसके साथ ही मैं ताम्बे के तार की विक्रय कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी करता हूं ।

156. गुड़ एवं वनस्पति घी गरीब वर्गों के उपभोग की महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं । इन वर्गों को राहत देने के लिए मैं गुड़ के लिए विक्रय कर दर को 10 प्रतिशत से घटा कर 6 प्रतिशत एवं हाईड्रोजनेटेड तेल व वनस्पति घी के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ।

157. खल एवं तेल रहित खल महत्वपूर्ण पशु आहार हैं । सोलवैन्ट एक्सट्रेक्शन संयंत्रों में खल, कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग की जाती है । पशु पालकों एवं सोलवैन्ट एक्सट्रेक्शन उद्योग को राहत पहुंचाने की दृष्टि से मैं खल एवं तेल रहित खल की विक्रय कर की दर को 2.5 प्रतिशत से घटा कर 1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ।

158. माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने विशेष जीवनरक्षक औषधियों पर सीमाशुल्क दरों में रियायतों का प्रस्ताव किया है । इससे प्रेरणा लेकर मैं क्षयरोधी एवं कोढ़रोधी औषधियों के विक्रय को कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं ।

159. माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि जयपुर, रत्न एवं बहुमूल्य प्रस्तर उद्योग के एक प्रधान केन्द्र के रूप में, देश में तेजी से उभर रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के अपने बजट भाषण में मैंने समस्त रत्नों व प्रस्तरों पर बहुल बिन्दु कर को हटाने का प्रस्ताव किया था । इस श्रमिक प्रधान उद्योग को और अधिक बढ़ावा देने हेतु मैं, हीरों के विक्रय को कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूं ।

160. बच्चों के लिये पतंग उड़ाना एक लोकप्रिय खेल है। जयपुर में तो व्यस्क भी पतंगबाजी का, खासतौर पर मकर संक्रान्ति के अवसर पर, पूरा आनन्द लेते हैं। पतंग एवं सम्बन्धित सामग्री का निर्माण कार्य समाज के गरीब वर्गों के लिये बड़े पैमाने पर रोजगार का भी स्रोत है । मैं इसे प्रोत्साहन देने के लिये पतंग, पतंगडोरी व पतंग चर्खी के विक्रय को बिना शर्त कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूं ।

161. राजस्थान में निर्मित पटाखे व आतिशबाजी, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं । इस श्रमिक प्रधान व्यापार को राहत प्रदान करने के लिये, मैं पटाखों पर विक्रय कर की दर को 14.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ।

162. कपड़ों का विधायन, कार्य संविदा के दायरे में आता है । इस उभरते हुए उद्योग को राहत पहुंचाने की दृष्टि से मैं, उन इकाइयों को जो कि अतिरिक्त आबकारी शुल्क का भुगतान करती हैं, कपड़ों के विधायन पर लगने वाले कार्य संविदा कर, से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं ।

163. यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि सम्पूर्ण राज्य में पावरलूम उद्योग का बहुमुखी विकास हो रहा है। इस महत्वपूर्ण औद्योगिक गतिविधि को और अधिक तीव्रता प्रदान करने की दृष्टि से मैं, पावरलूमों, के स्पेयर पार्टस एवं उपसाधनों पर विक्रय कर की दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ।

164. राजस्थान में हस्तनिर्मित कालीनों का निर्माण कार्य लोकप्रिय होता जा रहा है। इसमें मुख्यतः समाज के कमजोर वर्ग के लोग नियोजित होते हैं। इस उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मैं हस्तनिर्मित ऊनी रोंयेदार कालीनों के विक्रय को कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

165. झाड़ू एवं बांस की टोकरी बनाना, ग्रामीण एवं शहरी दस्तकारों के लिये आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। इन कार्यों में लगे व्यक्तियों को राहत देने के लिये, मैं झाड़ू एवं बांस की टोकरियों के विक्रय को कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

166. समाज के हर वर्ग में बालपाइंट पैन का उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इनकी रिफिल्स के उपभोक्ताओं एवं निर्माताओं को राहत देने हेतु, मैं बालपाइंट रिफिल्स के विक्रय को कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

167. माननीय सदस्यों को यह विदित है कि हाल ही में सम्पन्न हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह सहमति व्यक्त की गयी थी कि, 29 चिन्हित, उच्च मूल्य जोड़ने वाली वस्तुओं हेतु न्यूनतम कर दरें होनी चाहिए। इन चिन्हित वस्तुओं में से एक वस्तु मोटर कार भी है, जिस पर न्यूनतम कर दर 10 प्रतिशत इंगित की गयी है। बजट पेश करते समय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने ईंधन बचाने वाली कारों पर रियायती उत्पादन शुल्क की प्रथा को समाप्त कर दिया है। इसी का अनुकरण करते हुए, मैं मोटर कारों एवं जीपों पर न्यूनतम इंगित कर दर को देखते हुए विक्रय कर की दर 10 प्रतिशत निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

168. गृहिणियां मुद्रास्फीति के सम्बन्ध में अक्सर चिन्तित रहती हैं। उन्हें राहत देने की दृष्टि से मैं दैनिक उपभोग की निम्न वस्तुओं की विक्रय कर दरों को घटाने का प्रस्ताव करता हूं :—

1.	हल्दी, सौंफ, काला जीरा, कथोड़ी, अमचूर, असालिया व ईसबगोल	10% से 6%
2.	माचिस	10% से 8%
3.	सभी प्रकार के बर्तन	10% से 8%
4.	राजमा	10% से 4%
5.	मैदा, सूजी व सेवइयां	5% से 4%
6.	सिलाई का धागा	5% से 4%
7.	पानी वाला नारियल	5% से 4%

169. रेस्टोरेन्ट एवं ढाबे दिनों दिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। वर्तमान में, एक लाख वार्षिक टर्नओवर वाले भोजन प्रतिष्ठानों के मालिकों को कर से छूट प्राप्त है। इन्हें एवं उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से, मैं भोजन प्रतिष्ठानों के लिए कर छूट की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ा कर डेढ़ लाख रुपये करना प्रस्तावित करता हूं।

170. जीरा एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। इस लाभदायक फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से मैं, जीरा की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर विक्रय कर की दर को घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं।

171. नहाने व कपड़े धोने का साबुन, सेफ्टी रेजरब्लेड, स्कूली बस्ते, थर्मस फ्लास्क, पैन एवं संगमरमर का पाउडर व चिप्स आम आदमी के द्वारा सामान्यतः उपयोग की जानी वाली वस्तुएं हैं। राहत देने की दृष्टि से, मैं इनकी विक्रय कर दरों को निम्न प्रकार घटाने का प्रस्ताव करता हूं :

1.	नहाने व कपड़े धोने के साबुन	10% से 8%
2.	सेफ्टी रेजर ब्लेड	10% से 8%
3.	स्कूली बस्ते	10% से 4%
4.	थर्मस व वैक्यूम फ्लास्क	12% से 10%
5.	पैन एवं बालपाइन्ट पैन	10% से 8%
6.	संगमरमर के चिप्स एवं पाउडर	14.5% से 10%

172. मेरा यह मानना है कि वस्तुओं पर कर दरें प्रतिगामी नहीं होनी चाहिए। अतः मैं निम्न वस्तुओं पर कर दरों को घटाने का प्रस्ताव करता हूं :—

1.	आइरन डस्ट	5% से 4%
2.	सोने एवं चांदी से बनी वस्तुएं	6% से 2.5%
3.	सिन्थेटिक जेम्स एवं स्टोन	6% से 5%
4.	रद्दी कागज	10% से 4%
5.	चमड़े का सामान (जूतों को छोड़कर)	12% से 10%
6.	कांच से बनी वस्तुएं	12% से 10%
7.	वैल्डिंग इलैक्ट्रोड व छड़ें	12% से 10%
8.	बच्चा गाड़ी	12% से 10%
9.	बाइनाकुलर्स व टेलीस्कोप	12% से 10%
10.	टेलीप्रिन्टर, कैश रजिस्टरिंग मशीनें व कार्ड पंचिंग मशीनें	12% से 10%
11.	पिकनिक सैट्स	14.5% से 12%
12.	टेप रिकार्डर्स	14.5% से 12%
13.	फर एवं स्किन	14.5% से 10%
14.	कैमरे	14.5% से 12%
15.	फोटोकापी मशीनें	14.5% से 12%
16.	शस्त्र एवं आयुध	14.5% से 12%
17.	तम्बाकू पाइप	14.5% से 10%
18.	चमकीली टाइलें	14.5% से 10%
19.	एविऐशन स्प्रिट	18% से 10%
20.	सिगरेट केस व लाइटर	18% से 10%
21.	आग्नेय अस्त्र एवं एम्यूनीशन	18% से 15%

173. माननीय सदस्यों ने अवश्य यह महसूस किया होगा कि वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद भी मैंने समाज के कमजोर वर्गों एवं सामान्य उपभोक्ता को समुचित राहत देने का

प्रयास किया है। मुझे आशा है कि प्रस्तावित राहत के कारण होने वाली राजस्व हानि की पूर्ति बेहतर वित्तीय अनुशासन एवं बेहतर कर वसूली से की जा सकेगा ।

174. मैं पहिले ही इंगित कर चुका हूं कि वर्ष 1989-90 के अन्त तक 203.86 करोड़ रुपयों का समग्र घाटा होने का अनुमान है। वर्तमान में, मैं इस घाटे को अपूरित छोड़ना प्रस्तावित करता हूं। इस घाटे की पूर्ति का प्रयास आगामी वर्ष के दौरान कन्साइनमेंट टैक्स लगाकर, करों एवं बकाया रकम की बेहतर वसूली, केन्द्रीय सरकार से अधिक प्राप्तियां व अनावश्यक और अनुत्पादक खर्चे में कमी कर, किया जावेगा। वित्तीय अनुशासन में और अधिक कसाव एवं प्रभावशीलता लायी जायेगी एवं सरकारी खर्च पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी।

175. मैं माननीय सदस्यों को पुनः आश्वस्त करना चाहूंगा कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हमारा यह संकल्प है कि हम, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में राज्य को विकास एवं खुशहाली के मार्ग पर और आगे ले जायेंगे । विकास के पथ पर यात्रा कठिन एवं लम्बी है। विकास योजनाओं की सफलता के लिये हम सभी के लगातार प्रयास एवं त्याग की आवश्यकता है। मैं राज्य के उत्थान के पुनीत कार्य हेतु आप सबको आमन्त्रित करता हूं ।

176. मैं इन्हीं भावनाओं के साथ राजस्थान के उज्ज्वल एवं समृद्ध भविष्य की शुभकामना करते हुये वर्ष 1989-90 का बजट अनुमान विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं । मैं, सम्पूर्ण मांगें पारित होने तक माह अप्रैल से जुलाई 1989 के लेखानुदान पारित कराने का प्रस्ताव भी सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

जय हिन्द ।